प्रथम विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण
पुस्तिका

दिनांक 18 फरवरी, 2002 से 27 मार्च, 2002

पंचम सत्र

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2002

(माघ 29, शक संवत् 1923)

1. राष्ट्रगान

सदन में राष्ट्रगान "वन्देमातरम" की धुन बजाई गई.

2. राज्यपाल का अभिभाषण

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि—सदन राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा करेगा.

राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ.

राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया.

राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण की प्रथम एवं अन्तिम कण्डिका को पूर्ण रूप से तथा बाकी कण्डिकाओं के मुख्य अंश को पढ़ा गया.

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि महामहिम राज्यपाल द्वारा अभिभाषण के नहीं पढ़े गए अंश पढ़े हुए तथा कार्यवाही के अंग माने जाएंगे.

राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ प्रस्थान किया.

3. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव

श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि—महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं.

डॉ. रामलाल भारद्वाज, सदस्य ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया.

माननीय अध्यक्ष द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए दिनांक 25, 26 एवं 27 फरवरी, 2002 तथा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देने के लिए दिनांक 19 फरवरी, 2002 को अपराह्न 4.00 बजे तक का समय नियत किया गया.

माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को यह भी सूचित किया गया कि कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देने के लिए प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं.

मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी, 2002

(माघ 30, शक संवत् 1923)

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश की भूतपूर्व राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल तथा मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री केसरीमल लुंकड के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गए.

गृहमंत्री श्री नंदकुमार पटेल, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय, सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये.

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक-संतप्तों के प्रति संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगतों के सम्मान में 10.46 बजे सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 10.54 बजे पुनः प्रारम्भ हुई.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 16 तारांकित प्रश्नों में से 06 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 31) को माननीय अध्यक्ष ने आगामी कार्य दिवस तक के लिए स्थगित किया.

प्रश्नोत्तर सूची में 07 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. स्थगन प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ में धान की अपार फसल होने के बावजूद शासन द्वारा धान खरीदी पर अचानक रोक लगाये जाने के संबंध में सर्वश्री नंदकुमार साय, गौरीशंकर अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, महेश तिवारी, लीलाराम भोजवानी व धरम कौशिक, सदस्य की स्थगन प्रस्ताव की सूचना को माननीय अध्यक्ष ने पढ़ा.

श्री चनेशराम राठिया, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

संसदीय कार्यमंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने स्थगन प्रस्ताव चर्चा हेतु ग्राह्य करने पर सहमति प्रदान की.

माननीय अध्यक्ष ने इस पर अपराह्न 3.00 बजे से चर्चा कराए जाने की घोषणा की.

4. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन.

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि—कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2002 को संपन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित कार्यों के लिये उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

1. वित्तीय कार्य

	निर्धारित समय
वर्ष 2001-2002 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण.	2 घंटे

2. शासकीय विधि विषयक कार्य

1.	छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2002.	1 घंटा

2.	छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2002.	2 घंटे
3.	छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2002.	1 घंटा
4.	पंचायत राज अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2002.	1 घंटा 30 मिनिट

3. नवम्बर-दिसम्बर, 2001 सत्र के लंबित विधेयक

1.	छत्तीसगढ़ महर्षि प्रबंधन तथा तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2001. (क्रमांक 33 सन् 2001).	1 घंटा
2.	छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक, 2001 (क्रमांक 34 सन् 2001).	1 घंटा
3.	छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 35 सन् 2001).	30 मिनिट
	प्रदेश के फसल चक्र में परिवर्तन, बाजार में बदलते तेवर के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् फसल चक्र की आवश्यकता के संबंध में श्री महेश तिवारी, सदस्य की नियम-139 के अधीन प्राप्त सूचना पर चर्चा.	1 घंटा 30 मिनिट

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि फरवरी-मार्च, 2002 सत्र की बैठकों का समय दिनांक 20 फरवरी, 2002 से अपराह्न 12.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक लगातार रखा जाय तथा इसमें दोपहर भोजन अवकाश नहीं होगा.

सभा के समय में परिवर्तन के फलस्वरूप फरवरी-मार्च, 2002 सत्र में विभिन्न सूचनाओं को प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नानुसार समय में परिवर्तन किया जाता है :-

1. स्थगन/ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्रातः 9.00 बजे से प्राप्त की जाएगी. किसी दिन पूर्वाह्न 10.30 बजे के पश्चात् प्राप्त सूचना आगामी दिवस के लिए समझी जाएगी.

2. नियम-236 में अन्यथा उपबन्धित को छोड़कर शेष सूचनाओं का समय प्रातः 11.00 बजे से 04.00 बजे है, इसे यथावत् रखा जाय.

3. विशेषाधिकार भंग के जो प्रस्ताव किसी दिन पूर्वाह्न 11.30 बजे के पश्चात् प्राप्त होंगे उसे आगामी दिवस को प्रस्तुत माने जाएंगे.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि—

"वित्तीय कार्य/शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई गई हैं, सदन उन्हें स्वीकृति देता है."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

5. नवम्बर-दिसम्बर, 2001 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

माननीय अध्यक्ष ने नवम्बर-दिसम्बर, 2001 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों को पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

6. नियम 267-क के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2001 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

माननीय अध्यक्ष ने नियम 267-क के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2001 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

7. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि—विधान सभा के विगत सत्रों में सभा द्वारा पारित निम्नांकित विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है :-

1. छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल विधेयक, 2001 (क्रमांक 7 सन् 2001).
2. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधन (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 25 सन् 2001).
3. छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 27 सन् 2001).
4. छत्तीसगढ़ सह-चिकित्सकीय परिषद् विधेयक, 2001 (क्रमांक 28 सन् 2001).
5. छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 31 सन् 2001).
6. छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 32 सन् 2001).
7. छत्तीसगढ़ विधान सभा, सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 36 सन् 2001).

अनुमति प्राप्त विधेयकों की तिथि दर्शाने वाला विवरण पृथक् से वितरित किया गया है.

8. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री नंदकुमार साय, गौरीशंकर अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठप्प होने तथा राशन की दुकानों से गरीबों को राशन न मिलने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री चनेश राम राठिया, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

(2) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने शराब माफियाओं द्वारा विधायक श्री ननकीराम कंवर के अपहरण तथा हत्या का प्रयास किये जाने की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्य-सूची के पद क्रमांक-7 तक कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की.

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार -

(1) नारायण प्रसाद चन्देल, सदस्य की जांजगीर-चांपा जिले से ग्रामीणों का भारी संख्या में पलायन होने, व

(2) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य की रायपुर स्थित शासकीय केंसर हास्पिटल की स्थिति बदहाल होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई.

10. सभापति तालिका की घोषणा

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि—माननीय अध्यक्ष ने विधान सभा नियमावली के नियम 9 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया है :-

(1) श्री गणेश शंकर वाजपेयी
(2) श्री धर्मजीत सिंह
(3) श्री डोमेन्द्र भेडिया
(4) प्रो. गोपाल राम
(5) श्री महेश तिवारी
(6) श्री रामविचार नेताम

स्थगन प्रस्ताव (3.03 बजे चर्चा प्रारंभ)

छत्तीसगढ़ में धान की अपार फसल होने के बावजूद शासन द्वारा धान खरीदी पर अचानक रोक लगाये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री महेश तिवारी
(2) श्री गणेश शंकर वाजपेयी
(3) श्री घनाराम साहू
(4) श्री लीलाराम भोजवानी
(5) श्री रामलाल भारद्वाज
(6) श्री परेश बागबाहरा
(7) श्री नारायण प्रसाद चंदेल
(8) डॉ. हरिदास भारद्वाज

व्यवधान होने से सभा की कार्यवाही 4.22 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की गई, 4.30 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने डॉक्टर हरिदास भारद्वाज का नाम पुकारे जाने के बाद से लेकर उनकी व्यवस्था देने के पहले तक की संपूर्ण चर्चा को कार्यवाही से विलोपित किया. माननीय अध्यक्ष ने निम्नानुसार व्यवस्था दी—"सदन में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, बोलने के समय या और किसी रूप में अपमानित करना, लांछित करना नियमों के अंतर्गत नहीं आता लेकिन साथ ही साथ ऐसे समय पर उसमें अपनी भावनाओं को जोड़कर उसको किसी और वर्ग के साथ जोड़ना और भी उचित नहीं है यह उनका निर्णय और व्यवस्था है कि जहां से डॉक्टर हरिदास भारद्वाज का नाम पुकारा गया उसके बाद से लेकर अभी व्यवस्था देने के पहले तक की संपूर्ण कार्यवाही को जो कि बहुत शोभनीय कार्यवाही नहीं है, विलोपित किया जाता है."

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की.

(9) श्री शिवरतन शर्मा
(10) श्री बृजमोहन अग्रवाल
(11) श्री मदनसिंह डहरिया
(12) श्री अजय चन्द्राकर
(13) श्री धरम कौशिक
(14) श्री धर्मजीत सिंह
(15) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया
(16) श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष

श्री मोहम्मद अकबर, राज्यमंत्री खादय ने चर्चा का उत्तर दिया.

बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2002

(फाल्गुन 1, शक संवत् 1923)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 16 तारांकित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिए गए.

तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 181) तथा तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 111) को माननीय अध्यक्ष ने आगामी कार्य दिवस तक के लिए स्थगित किया.

प्रश्नोत्तर सूची में 15 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल समाप्त होते ही माननीय अध्यक्ष ने जैसे ही कार्यसूची के पद क्रमांक (2) के उप पद (1) में दर्ज प्रदेश में वनों तथा मालिक मकबूजा जमीन से वृक्षों की अवैध कटाई संबंधी ध्यानाकर्षण को लेने की घोषणा की, सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल तथा नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने प्रदेश में जंगलों की अवैध कटाई होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की.

माननीय अध्यक्ष ने कार्यसूची में दर्ज प्रथम ध्यानाकर्षण पर चर्चा न कराते हुये घोषणा की कि वे माननीय सदस्यों के अनुरोध को देखते हुए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने पर विचार करेंगे.

2. ध्यानाकर्षण

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, गौरीशंकर अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पी. ई. टी. एवं पी. एम. टी. परीक्षा समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

शासन की ओर से संतोषजनक उत्तर न आने के कारण–माननीय अध्यक्ष ने उपरोक्त ध्यानाकर्षण को आगामी कार्य दिवस के लिए स्थगित करते हुए माननीय मंत्री को आगामी तारीख को तैयारी के साथ आने हेतु निर्देशित किया.

(नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने विधान सभा के प्रति मंत्रियों के उपेक्षापूर्ण रवैये के विरोध में सदन की कार्यवाही से दिन भर के लिए बहिर्गमन किया.)

वर्ष 2001-2002 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2001-2002 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

माननीय अध्यक्ष ने इस अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 21 फरवरी, 2002 को सायंकाल 4.00 बजे तक का समय निर्धारित किया.

शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2002 का पुर:स्थापन किया.

कार्यसूची के पद क्रमांक-5 में उल्लेखित प्रदेश में फसल चक्र में परिवर्तन बाजार के बदलते तेवर के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् फसल चक्र की आवश्यकता के संबंध में नियम-139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा प्रारम्भकर्त्ता सदस्य के अनुपस्थित रहने के कारण माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित की गई.

गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी, 2002

(फाल्गुन 2, शक संवत् 1923)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 15 तारांकित प्रश्नों में से 6 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 47) वर्तमान आबकारी नीति के तहत राज्य को प्राप्त राशि संबंधी प्रश्न पर प्रश्नकर्ता सदस्य श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर ने माननीय मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर वर्तमान आबकारी नीति के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया.

प्रश्नोत्तर सूची में 9 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

विलोपित कार्यवाही के संबंध में पत्रकारों से चर्चा एवं प्रकाशित समाचार पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नानुसार व्यवस्था दी :-

"सभा को स्मरण होगा कि दिनांक 19 फरवरी, 2002 को सभा में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आसंदी द्वारा माननीय सदस्य डॉ. हरिदास भारद्वाज का नाम पुकारे जाने पर सदस्यों द्वारा अशोभनीय एवं अनुचित आरोप-प्रत्यारोप पक्ष एवं विपक्ष दोनों के द्वारा लगाये जाते रहे.

विधान सभा के अंदर यद्यपि सदस्यों को पूर्ण वाक् स्वातंत्र्य प्राप्त होता है. वाक् स्वातंत्र्य के संबंध में प्रक्रिया एवं नियमावली के अंतर्गत लगाई गई पाबंदियों का जब उल्लंघन किया जाता है तब वह ब्रीच ऑफ आर्डर होता है और नियमावली के नियम 270 के अधीन अध्यक्ष उसमें कार्यवाही कर सकते हैं, तदनुसार मैंने सदन की कार्यवाही की गरिमा एवं परम्परा पर विचार करते हुए उस संपूर्ण कार्यवाही को कार्यवाही से विलोपित कर दिया था.

मेरे ध्यान में यह तथ्य आया है कि सभा की कार्यवाही के पश्चात् गृह मंत्री श्री नंदकुमार पटेल एवं नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए सभा की कार्यवाही के विलोपित हिस्सों को पुनः उद्धृत किया है और साथ ही इन विलोपित अंशों के अर्थावयन को भी अपने शब्दों में व्यक्त किया है.

छत्तीसगढ़ विधान सभा का गठन अभी हाल ही में हुआ है और सदन में अभी स्वस्थ परम्परायें निर्मित हो रही हैं. सभा के अंदर एवं सभा के बाहर भी सदस्यों से यह अपेक्षित है कि सदस्य, आचरण एवं मर्यादाओं का नियमों एवं परम्पराओं का दायित्व की भावना से पालन करें.

जो अंश विलोपित कर दिये हैं, उसी विषय को लेकर और उन्हीं अंशों को उद्धृत करते हुये माननीय गृह मंत्री एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा पत्रकारों से चर्चा करना, विलोपित अंशों को उद्धृत करना और उस पर अपना मत व्यक्त करना मैं, नितांत अनुचित मानता हूं और इस सभा की गरिमा के विपरीत भी.

माननीय गृह मंत्री एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष सदन के वरिष्ठ सदस्य है इसलिए मैं इस मामले को इस अपेक्षा के साथ कि सभा की मर्यादा बनाये रखने में माननीय गृह मंत्री जी एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष विशेष सतर्कता बरतेंगे आगे और कुछ नहीं कहना चाहूंगा. एक बात और कहूंगा कि ऐसी स्थिति की भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो.

3. स्थगन प्रस्ताव

ग्राम कोसमसरा थाना कसडोल जिला रायपुर में 13 अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के साथ वन विभाग के कर्मचारियों तथा पुलिस के लोगों द्वारा अमानवीय कृत्य किए जाने के संबंध में सदस्य सर्वश्री नंदकुमार साय, नारायण प्रसाद चंदेल, धरम कौशिक, लीलाराम भोजवानी, शिवरतन शर्मा, गौरीशंकर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल की स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा पढ़ी गई.

श्री डेरहूप्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् माननीय उपाध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी.

4. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल सदस्य ने प्रदेश में लोक सेवा आयोग में परीक्षा प्रणाली तथा भर्ती प्रक्रिया निर्धारण न किए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री कृष्णकुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले की प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों की कमी होने,

(2) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने जिला धमतरी के मगरलोड विकासखंड अंतर्गत ग्राम सिगपुर में मलेरिया उन्मूलन हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

6. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 52 बिन्द्रानवागढ़ के सदस्य श्री चरण सिंह मांझी की ओर से विधान सभा नियमावली के नियम 277 (1) के अधीन आवेदन प्राप्त हुआ है. उन्होंने फरवरी-मार्च, 2002 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है.

उनका निवेदन इस प्रकार है :- "मेरा स्वास्थ्य पिछले माह से खराब है और अभी भी इलाज चल रहा है. स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कारण सत्र में उपस्थित नहीं हो सकता."

सदन की अनुमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 52 बिन्द्रानवागढ़ के सदस्य श्री चरण सिंह मांझी को फरवरी-मार्च, 2002 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री विधान मिश्रा, राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक, 2001 (क्रमांक-34 सन् 2001) सदन में पुर:स्थापित न करने की सूचना दी.

उपस्थितों ने सहमति दी.

(2) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2001 सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

8. वर्ष 2001-2002 के तृतीय अनुपूरक मांगों पर चर्चा

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि परम्परानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है. अत: माननीय वित्त मंत्री सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.
सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि—"दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 42, 44, 48, 51, 53, 56, 58, 65, 66, 67, 69, 78, 79, 80, 81, 82 एवं 83 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक सौ बाईस करोड़ उन्चास लाख, तिरयान्वे हजार, दो सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये."

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुपूरक मांगों पर चर्चा के लिए सायं 4.00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था. मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात् तत्संबंधी विनियोग विधेयक लिया जायेगा.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.
सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामविचार नेताम
(2) श्री अग्नि चन्द्राकर
(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल
(4) डॉ. हरिदास भारद्वाज
(5) श्री ननकीराम कंवर
(6) डॉ. छबिलाल रात्रे
(7) इंजी. रामेश्वर खरे
(8) श्री लीलाराम भोजवानी

9. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया :-

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, 22 फरवरी, 2002 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

	अशासकीय संकल्प		समय
(1)	(क्रमांक-5)	श्री अमर अग्रवाल	30 मिनट
(2)	(क्रमांक-8)	श्री महेश तिवारी	01 घंटा
(3)	(क्रमांक-10)	श्री अजय चन्द्राकर	01 घंटा

डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. वर्ष 2001-2002 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

अनुपूरक मांगों पर जारी चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने क्रमश: भाग लिया :-

(10) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर

(11) श्री नारायणप्रसाद चंदेल

(12) श्री देवव्रत सिंह

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से अनुपूरक मांगों पर चर्चा तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की.

(13) डॉ. रामलाल भारद्वाज

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अनुपूरक मांग स्वीकृत हुआ.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2002 (क्रमांक-2 सन् 2002) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 व अनुसूची विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2002 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2002

(फाल्गुन 3, शक संवत् 1923)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में 09 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 03 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 20 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल समाप्त होते ही भाजपा सदस्यों ने मामला उठाया कि ग्राम कोसमसरा की महिलाओं के साथ घटी घटना संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कल माननीय उपाध्यक्ष द्वारा घटना की एफ. आई. आर. दर्ज कराने के लिए गृहमंत्री को निर्देशित किया गया था लेकिन 24 घंटे बीत जाने के पश्चात् भी एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हुई है, न ही गिरफ्तारी की गई है. भाजपा सदस्यों ने इस संबंध में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की.

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि वे समस्त तथ्यों को देखकर योग्य कार्यवाही का प्रयास करेंगे.

स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में वनों एवं मालिक मकबूजा जमीनों से वृक्षों की अवैध कटाई के संबंध में सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, ननकीराम कंवर, अजय चन्द्राकर, नारायणप्रसाद चंदेल सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय अध्यक्ष ने पढ़ी.

श्री डेरहूप्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से घोषणा की कि स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा पूर्ण होने के पश्चात् अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए, लिए जाएंगे तथा आज की कार्यसूची में दर्ज ध्यानाकर्षण सूचनाएं सोमवार 25 फरवरी, 2002 को ली जाएंगी.

नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सरकार की हठधर्मी एवं अवैध वन कटाई के संबंध में सरकार द्वारा कार्यवाही न करने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

माननीय उपाध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी.

नियम 169 के अंतर्गत सदन की सूचना

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने माननीय सदस्य श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया द्वारा आदिमजाति कल्याण विभाग में फर्नीचर क्रय में हुई अनियमितता की जांच हेतु गठित सदन की जांच समिति के प्रतिवेदन को आधार बनाकर श्री एम. के. पाण्डे, अपर संचालक, उद्योग संचालनालय के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 6 दिसम्बर, 2001 को जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप दी है.

आसंदी की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सदन को सूचना

श्री नंदकुमार पटेल, गृहमंत्री ने दिनांक 21 फरवरी, 2002 को आसंदी द्वारा ग्राम कोसमसरा की घटना पर स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता की चर्चा के दौरान दी गई व्यवस्था के संदर्भ में सदन को सूचित किया कि महिला थाना, रायपुर में शून्य पर अपराध कायम करके विवेचना के लिए प्रकरण एस. डी. ओ. (पी) बलौदा बाजार को सौंप दिया गया है.

अशासकीय संकल्प

(1) श्री अमर अग्रवाल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि सदन का मत है कि "पेयजल हेतु प्रति 250 व्यक्ति पर एक हैंडपम्प की स्थापना के स्थान पर प्रति 100 व्यक्ति पर एक हैंडपम्प (नलकूप) की स्थापना सुनिश्चित किया जाये." तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री धरम कौशिक
(2) श्री घनाराम साहू
(3) डॉ. रामलाल भारद्वाज
(4) श्री धर्मजीत सिंह

संकल्प प्रस्तुतकर्त्ता सदस्य श्री अमर अग्रवाल सहित उपस्थित भाजपा सदस्यों ने संकल्प पर राज्य मंत्री के उत्तर का बहिष्कार करते हुए सदन से बहिर्गमन किया.

श्री गंगूराम बघेल, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत संकल्प अस्वीकृत हुआ.

(2) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि—"सदन का मत है कि कृषि पंपों पर अनुदान 20 हजार रुपये बढ़ाकर 60 हजार रुपये किया जावे तथा कृषकों से विद्युत बिल का भुगतान उतने माह का लिया जावे जितना कि वे उपयोग करते हैं एवं कम्प्यूटर बिल अधिभार समाप्त किया जावे." तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सदस्य सर्वश्री अग्नि चन्द्राकर, ननकीराम कंवर, शिवरतन शर्मा, परेश बागबाहरा ने चर्चा में भाग लिया.

श्री धनेश पटिला, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत संकल्प अस्वीकृत हुआ.

सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2002

(फाल्गुन 6, शक संवत् 1923)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 22 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिए गए.

राजधानी निर्माण में अपनायी गई प्रक्रिया संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक-231) पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष ने कहा कि वे इस विषय पर अलग से चर्चा कराएंगे. प्रश्न स्थगित किया गया.

प्रश्नोत्तर सूची में 20 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, गौरीशंकर अग्रवाल, नारायणप्रसाद चंदेल, सदस्य ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पी. ई. टी. एवं पी. एम. टी. परीक्षा समाप्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने माननीय मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया.)

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने जनपद पंचायत, कुरूद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पूर्व एवं वर्तमान उप-सरपंच की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न की जाने,

(2) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम उसलापुर में ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

(3) श्री धरम कौशिक, सदस्य ने जशपुर जिले के अंतर्गत विकासखण्ड कार्यालय परिसर का बाउण्ड्रीवाल तोड़कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अवैध मकान निर्माण किये जाने,

(4) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने सरगुजा जिले के सुदूर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति किये जाने,

(5) जांजगीर-चांपा जिले की मण्डी में पदस्थ सचिव के विरूद्ध कर्मचारियों में असंतोष होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

4. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सदस्य ने राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के संबंध में अपना भाषण प्रारंभ किया.

माननीय सभापति ने घोषणा की कि सदस्य श्री डोमेन्द्र भेंडिया का भाषण जारी रहेगा. सदन की कार्यवाही 2.14 बजे से 3.00 तक के लिए स्थगित की गई. अपराह्न 3.00 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक का उपस्थापन

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया.

माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 1 मार्च एवं 4 मार्च, 2002 तक का समय आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए नियत किया गया.

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचना दिनांक 26 फरवरी, 2002 को अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है. कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं.

मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2002

(फाल्गुन 7, शक संवत् 1923)

1. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री जालम सिंह पटेल, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गए.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये.

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं शोक-संतप्तजन के प्रति संवेदना प्रकट की गई. दिवंगत के सम्मान में 12.14 बजे सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित होकर 12.27 बजे पुनः प्रारंभ हुई.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में दिनांक 19 फरवरी, 2002 की प्रश्नोत्तर सूची का स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक-31) सहित 24 तारांकित प्रश्नों में से 03 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

दिनांक 19 फरवरी, 2002 की प्रश्नोत्तर सूची के स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक-31) पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष ने राजस्व मंत्री की सहमति से सदन की समिति बनाने की घोषणा की.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 03 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 19 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह, कृषि मंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के अधिनियम, 1987 की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट उत्तर एवं प्रबंध मंडल की टिप्पणी वर्ष 1997-98 पटल पर रखी.

(2) श्री रामचंद्र सिंहदेव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (क्रमांक 18 सन् 2000) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचना क्रमांक 87/2002/23/यो.आ.सां. दिनांक 25 जनवरी, 2002 पटल पर रखी.

(3) श्री धनेश पटिला, ऊर्जा मंत्री ने दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को विधान सभा नियमावली के नियम 139 की चर्चा के दौरान की गई घोषणा के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की दो वर्ष की (वर्ष 2001-2003) की कार्य योजना पटल पर रखी.

4. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल, गौरीशंकर अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में प्रदेश सरकार द्वारा बरती जा रही लापरवाही की ओर पंचायत मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री अमितेष शुक्ल, पंचायत मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री ननकीराम कंवर, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में जंगली हाथियों के द्वारा आतंक व तबाही मचाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री डेरहूप्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने धमतरी जिले में विद्युत कटौती एवं लो-वोल्टेज होने से कृषि उद्योग प्रभावित होने,

(2) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

(3) श्री अमर अग्रवाल, सदस्य ने नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा भवन निर्माण हेतु नक्शा स्वीकृत की प्रक्रिया को सरल बनाने,

(4) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने राजनांदगांव जिले में अन्नपूर्णा योजनांतर्गत हितग्राहियों के कार्ड न बनाये जाने,

(5) श्री रामविचार नेताम, सदस्य ने सरगुजा जिले के दूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि—कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 26 फरवरी, 2002 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित कार्यों के लिए उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

(1) छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण विधेयक, 2002 (क्रमांक 4 सन् 2002) — 1 घंटा

समिति ने वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक संबंधी संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान की मांगों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित करने की भी सिफारिश की है :-

क्र.	मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	प्रस्तावित समय
1.	श्री रविन्द्र चौबे	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	
		22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय	
		28	राज्य विधान मंडल	1 घंटा
		29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	30 मिनट
		69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	
		81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
2.	श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे	10	वन	1 घंटा
3.	श्री माधव सिंह ध्रुव	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	
		33	आदिमजाति कल्याण	
		41	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	
		42	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	
		49	अनुसूचित जाति कल्याण	
		53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	
		64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2 घंटे
		66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	
		68	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	
		77	बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	

		82	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	
		83	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत नगरीय निकाय को वित्तीय सहायता.	
4.	श्री कृष्ण कुमार गुप्ता	1	सामान्य प्रशासन (जन शिकायत निवारण)	2 घंटे
		2	सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	
		19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
		61	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	
		79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	
5.	श्री महेन्द्र कर्मा	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	1 घंटा 30 मिनट
		56	ग्रामोद्योग (सार्वजनिक उपक्रम)	
		78	ग्रामोद्योग से संबंधित विदेशी सहायता परियोजनाएं	
6.	श्री नन्द कुमार पटेल	3	पुलिस	2 घंटे
		4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	
		5	जेल	
		36	परिवहन	
		65	विमानन विभाग	
7.	श्री धनेश पटिला	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	1 घंटा
8.	श्री चनेशराम राठिया	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	1 घंटा
9.	श्री सत्यनारायण शर्मा	27	स्कूल शिक्षा	2 घंटे
		44	उच्च शिक्षा	
		46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	
		47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन	
10.	श्री अतितेष शुक्ल	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास से संबंधित व्यय	1 घंटा 30 मिनट
		80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	
11.	श्रीमती गीतादेवी सिंह	34	समाज कल्याण	1 घंटा
		55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	
12.	डॉ. प्रेमसाय सिंह	13	कृषि	2 घंटे
		14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	
		16	मछली पालन	
		17	सहकारिता	
		54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	
		71	पशुपालन से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
13.	श्री रामपुकार सिंह	25	खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	1 घंटा
		32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	
14.	श्री रामचन्द्र सिंहदेव	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	1 घंटा
		7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	
		31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	

		48	ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	
		50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	1 घंटा
		60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	
15.	श्री भूपेश बघेल	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	
		9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	1 घंटा
		35	पुनर्वास	
		58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	
16.	श्री शंकर सोढ़ी	18	श्रम	1 घंटा
		43	खेल और युवक कल्याण	
17.	श्री तरूण प्रसाद चटर्जी	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	
		67	लोक निर्माण कार्य-भवन	1 घंटा
		76	लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	30 मिनट
18.	श्री धनेन्द्र साहू	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	
		37	पर्यटन	1 घंटा
		51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	
19.	डॉ. शक्राजीत नायक	23	जल संसाधन विभाग	
		40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	
		45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	1 घंटा
		57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	
20.	श्री गंगूराम बघेल	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	1 घंटा

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि सोमवार, दिनांक 11 मार्च, 2002 को सदन की बैठक नहीं होगी.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि—"सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर पुनर्गृहीत चर्चा में सदस्य श्री डोमेन्द्र भेंडिया ने अपना भाषण पूर्ण किया.

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में 20 माननीय सदस्यों से संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें अग्राह्य कर दिया गया है. निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए माने गये :-

सदस्य का नाम	संशोधन
श्री जगजीत सिंह मक्कड़	16
श्री नारायण प्रसाद चंदेल	49

सदस्य का नाम	संशोधन
श्री विक्रम मोहले	26
श्री शिवरतन शर्मा	25
श्री हेमचंद यादव	5
श्री रामविचार नेताम	20
श्री छतराम देवांगन	33
श्री धरम कौशिक	25
श्री महेश तिवारी	7
श्री मेघाराम साहू	23
श्री अजय चन्द्राकर	47
श्री ननकीराम कंवर	34
श्री बृजमोहन अग्रवाल	34
इंजीनियर रामेश्वर खरे	23
श्री अमर अग्रवाल	5
श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया	12

राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सदस्य द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) श्री महेश तिवारी
(2) डॉ. रामलाल भारद्वाज
(3) श्री दाऊराम रत्नाकर
(4) श्री नारायण प्रसाद चंदेल

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री नारायण प्रसाद चंदेल के भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की.

बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2002

(फाल्गुन 8, शक संवत् 1923)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल दिनांक 20 फरवरी, 2002 की प्रश्नोत्तर सूची के स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक-181) एवं तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक-111) सहित 24 तारांकित प्रश्नों में से एक प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछा गया तथा उत्तर दिया गया.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित एक तारांकित प्रश्न का उत्तर तथा 19 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने खरसिया शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण तथा स्वीकृति में अनियमितता किए जाने के संबंध में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

राज्यमंत्री, जल संसाधन डॉ. शक्राजीत नायक ने इस पर वक्तव्य दिया.

(भाजपा सदस्यों द्वारा नारे लगाये गए)

व्यवधान होने से सभा की कार्यवाही 2.45 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की गई. 2.50 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

(2) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने बस्तर में आदिवासियों की अज्ञात बीमारी से मृत्यु होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अकलतरा से बलौदा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(2) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने कोरबा नगरपालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़े जाने, संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

पुनर्गृहीत चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. छबिलाल रात्रे
(2) श्री जगजीत सिंह मक्कड़
(3) डॉ. हरिदास भारद्वाज
(4) श्री धरम कौशिक
(5) श्रीमति इन्ग्रिड क्रिस्टिन मैकलॉउड
(6) श्री देवव्रत सिंह
(7) श्री छतराम देवांगन

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से सदन के समय में आधे घंटे की वृद्धि करने की घोषणा की.

(8) श्री चोवादास खाण्डेकर

(9) श्री शिवरतन शर्मा

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से शेष रहे दो माननीय सदस्यों का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की.

(10) श्री अमर अग्रवाल

(11) श्री बृजमोहन अग्रवाल

गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी, 2002

(फाल्गुन 9, शक संवत् 1923)

1. शोक प्रस्ताव

दिनांक 27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा रेल्वे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में मानवता विरोधी शक्तियों के द्वारा आगजनी के कारण अनेक लोगों के जलकर अकाल मृत्यु को प्राप्त होने की घटना पर माननीय अध्यक्ष ने शोकोद्गार व्यक्त किये.

संसदीय कार्यमंत्री श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय, सदस्य श्री धर्मजीत सिंह ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए.

सदन द्वारा दो मिनट खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा शोक-संतप्तजनों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगतों के सम्मान में 12.11 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई. 12.23 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 16 तारांकित प्रश्नों में से 05 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में 15 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. ध्यानाकर्षण

(1) प्रो. गोपालराम, सदस्य ने जिला सरगुजा में निजी भूमि पर बिना भूमि स्वामी की अनुमति के बॉक्साइट का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपुकार सिंह, खनिज साधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री चैनसिंह सामले, डॉ. छबिलाल रात्रे, श्री मदनसिंह डहारिया, सदस्य ने प्रदेश के जांजगीर, रायगढ़, कोरबा एवं बिलासपुर जिलों में किसानों को धान तथा बारदानों की कीमत का भुगतान न किए जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री मोहम्मद अकबर, राज्यमंत्री खाद्य ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री मेघाराम साहू, सदस्य ने जनपद पंचायत सक्ती के ग्राम रानीगांव स्थित प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कमरों के निर्माण कराये जाने,

(2) श्री संजीव शाह, सदस्य ने राजनांदगांव जिला अंतर्गत विकासखण्ड मानपुर के ग्राम औंधी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के प्राचार्य द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किए जाने,

(3) प्रो. गोपालराम, सदस्य ने सरगुजा जिला अंतर्गत सड़कों के घटिया निर्माण होने,

(4) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने कोरबा जिले में आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा आहरित राशि का दुरुपयोग करने,

(5) श्री रामविचार नेताम, सदस्य ने रायपुर जिले के ग्राम हीरापुर में कर्मचारियों की ट्रांजिस्ट आवासीय कालोनी के आसपास गंदगी एवं अशुद्ध पेयजल प्रदाय किए जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

5. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री चैनसिंह सामले, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

प्रतिवेदन इस प्रकार है :—

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 01 मार्च, 2002 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :—

		अशासकीय संकल्प	समय
1.	(क्रमांक-8)	श्री महेश तिवारी	01 घंटा
2.	(क्रमांक-14)	श्री देवव्रत सिंह	30 मिनट
3.	(क्रमांक-17)	श्री धर्मजीत सिंह	01 घंटा

श्री चैनसिंह सामले, सभापति ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

पुनर्गृहीत चर्चा में नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने भाग लिया.

(नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने तथा बसपा के श्री दाऊराम रत्नाकर, सदस्य ने माननीय मुख्यमंत्री के भाषण का बहिष्कार किया व नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया.)

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी ने चर्चा का उत्तर दिया.

माननीय अध्यक्ष द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण के उत्तर में प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में प्रस्तुत संशोधनों पर एक साथ मत लिया गया.

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

7. वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

(1) श्री बनवारीलाल
(2) श्री धर्मजीत सिंह
(3) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सदस्य श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की.

शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च, 2002

(फाल्गुन 10, शक संवत् 1923)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 07 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 277) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मदवार प्राप्त राशि संबंधी प्रश्न को माननीय अध्यक्ष ने आगामी कार्य दिवस के लिए स्थगित किया.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 9 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 11 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल समाप्त होते ही सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा आयोजित बंद के दौरान पुलिस द्वारा निरपराध व्यक्तियों को परेशान करने एवं गिरफ्तार करने संबंधी दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की.

2. वक्तव्य

गोधरा (गुजरात) की घटना के बाद राज्य में की गई आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया.

नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त करने के दौरान व्यवधान होने से माननीय अध्यक्ष ने 1.16 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी. 1.50 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

3. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, सदस्यों ने प्रदेश के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों का आधुनिकीकरण न किए जाने तथा स्टॉफ की कमी होने की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

माननीय सभापति ने कार्यसूची में दर्ज उपरोक्त प्रथम ध्यानाकर्षण को आगामी कार्य दिवस के लिए स्थगित किया.

(2) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले में हरेली सहेली योजना में गड़बड़ी होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने जशपुर जिले के विकासखण्ड कार्यालय परिसर के बाउण्ड्रीवाल को तोड़कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अवैध मकान निर्माण किये जाने,

(2) श्री मेघाराम साहू, सदस्य ने सक्ती विधान सभा क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

5. वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

पुनर्गृहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल (भाषण अपूर्ण)

अशासकीय संकल्प

(1) श्री महेश तिवारी, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि सदन का मत है कि "छत्तीसगढ़ राज्य में बढ़ते प्रदूषण और गंदगी से मुक्ति तथा जमीन की जल शोधन क्षमता बनाये रखने हेतु प्लास्टिक और पॉलीथीन थैलियों के राज्य में निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए", तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

डॉ. हरिदास भारद्वाज, डॉ. छबिलाल रात्रे, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रविन्द्र चौबे, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरान्त संकल्प अस्वीकृत हुआ.

(2) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि—"यह सदन केन्द्रीय रेल मंत्रालय से अनुरोध करता है कि—राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गण्डई, सहसपुर, लोहारा, कवर्धा, पण्डरिया, लोरमी, बेमेतरा, नवागढ़, मुंगेली से बिलासपुर रेल्वे लाइन के मार्ग पर नई रेल लाइन प्रारम्भ कर उक्त समस्त क्षेत्रवासियों को रेल सुविधा उपलब्ध कराई जाए." तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, योगेश्वर राजसिंह, महेश तिवारी, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री नंदकुमार पटेल, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प पर चर्चा अपूर्ण रही. माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि यथा संशोधित संकल्प पर पारण की प्रक्रिया आगामी अशासकीय कार्य दिवस पर पूर्ण की जाएगी.

(3) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि—सदन का मत है कि "अमरकंटक पवित्र तीर्थ स्थल एवं पर्यटन स्थल के पास छत्तीसगढ़ प्रदेश की सीमा पर "अमरकंटक धाम" टाउनशिप स्थापित करने हेतु प्रदेश सरकार पहले करे", तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सदस्य श्री ननकीराम कंवर, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, अजय चंद्राकर, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री शिवरतन शर्मा, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने चर्चा में भाग लिया.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी तथा माननीय अध्यक्ष ने भी संकल्प पर अपने विचार व्यक्त किए.

श्री धनेन्द्र साहू, पर्यटन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ.

नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा

दिनांक 19 फरवरी, 2002 को राजस्व मंत्री से पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्रमांक-45) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने चर्चा उठायी.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

सोमवार, दिनांक 4 मार्च, 2002

(फाल्गुन 13, शक संवत् 1923)

1. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री गन्ती मोहनचन्द्र बालयोगी के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गये.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, माननीय उपाध्यक्ष एवं सदस्य श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य श्री महेश तिवारी एवं श्री दाऊराम रत्नाकर ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए.

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक-संतप्त के प्रति संवेदना प्रकट की गई.

मंगलवार, दिनांक 5 मार्च, 2002

(फाल्गुन 14, शक संवत् 1923)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 05 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 19 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 22 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री ताम्रध्वज साहू, राज्यमंत्री, शिक्षा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-213 की अपेक्षानुसार महर्षि प्रबंधन तथा तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2002 (क्रमांक 1, सन् 2002) पटल पर रखा.

3. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि—कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 04 मार्च, 2002 को संपन्न हुई. जिसमें निम्नलिखित कार्यों के लिए उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :—

(1) शासकीय विधि विषयक कार्य

		निर्धारित समय
1.	छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधन अधिनियम 1991 में संशोधन.	1 घंटा
2.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002.	1 घंटा

(2) शासकीय संकल्प

भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र को प्रशासकीय और प्रबंधकीय स्वतंत्रता का दर्जा दिये जाने के संबंध में संकल्प.	2 घंटे

(3) नियम 139 के अधीन चर्चा

राजधानी निर्माण के लिये स्थल चयन तथा रायपुर शहर के मास्टर प्लान एवं जमीनों की बिक्री के संबंध में श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की नियम 139 के अधीन प्राप्त सूचना पर चर्चा.	1 घंटा 30 मिनिट

समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि सदन की बैठकें दिनांक 05 मार्च, 2002 से सायंकाल 06.30 बजे तक रखी जाएं.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि—शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई गई हैं, सदन उन्हें स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री नंदकुमार साय, सदस्य ने प्रदेश में नक्सली गतिविधियों में वृद्धि होने के संबंध में गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री गौरीशंकर अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने कांकेर जिले में छठवीं शताब्दी की गुप्तकालीन बहुमूल्य मूर्तियों की चोरी होने की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री मेघाराम साहू, सदस्य की नगर पंचायत नया बाराद्वार में शिक्षाकर्मी को वेतन न मिलने,

(2) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की शिक्षा विभाग में शिक्षकों के मृत्युपरांत उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने,

(3) श्री रंजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की छुरिया विकासखण्ड में आदिवासी विशेष घटक योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं होने,

(4) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य की तहसील जैजेपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत छितरा के विधायक हेतु भूमि आवंटन में विलम्ब होने,

(5) श्री छतराम देवांगन, सदस्य की नगर पंचायत बलौदा के कन्या हाईस्कूल का भवन निर्माण करने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के नवम्बर-दिसम्बर, 2001 सत्र में दिनांक 10 दिसम्बर, 2001 को पारित छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध विधेयक, 2001 (क्रमांक 26, सन् 2001) को राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 जनवरी, 2002 को प्राप्त हो गई है.

7. लोक लेखा तथा प्राक्कलन समितियों के लिए 09-09 सदस्यों का निर्वाचन

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि—"सभा के सदस्यगण, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियम 221 के उप नियम (3) तथा 223 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार लोक लेखा तथा प्राक्कलन समितियों के लिए वित्तीय वर्ष 2002-2003 की अवधि के लिए अपने में से क्रमशः 09-09 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 09 सदस्यों का निर्वाचन

श्री माधव सिंह ध्रुव, आदिमजाति कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि—"सभा के सदस्यगण विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियम 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2002-2003 की अवधि के लिए अपने में से 9 सदस्य जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि लोक लेखा, प्राक्कलन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :—

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च, 2002 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.

(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा सोमवार, दिनांक 11 मार्च, 2002 को पूर्वाह्न 11.00 बजे होगी.

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरुवार, दिनांक 14 मार्च, 2002 को अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती हैं.

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2002 को 12.00 बजे दिन से 4.00 बजे अपराह्न तक होगा.

(5) निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा.

उपर्युक्त निर्वाचनों में अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री ताम्रध्वज साहू, राज्यमंत्री, शिक्षा ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि—"सभा के समक्ष विचाराधीन छत्तीसगढ़ महर्षि प्रबंधन तथा तकनीकी विश्वविद्यालय, विधेयक, 2001 (क्रमांक 33 सन् 2001) जो दिनांक 13 दिसम्बर, 2001 को पुर:स्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक वापस हुआ.

(2) श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण विधेयक, 2002 (क्रमांक 4 सन् 2002) पुर:स्थापित किया.

(3) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, (क्रमांक-5 सन् 2002) पुर:स्थापित किया.

(4) श्री ताम्रध्वज साहू, राज्यमंत्री, शिक्षा ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी विधेयक, 2002 (क्रमांक-8 सन् 2002) पुर:स्थापित किया.

10. वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) श्री महेश तिवारी

(2) श्री परेश बागबाहरा

(3) श्री ननकीराम कंवर

(4) डॉ. हरिदास भारद्वाज

(5) श्री नारायण प्रसाद चंदेल

(6) डॉ. रामलाल भारद्वाज

(7) डॉ. छबिलाल रात्रे

(8) श्री शिवरतन शर्मा

(9) श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

11. वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई धनराशि—

मांग संख्या 21	—	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय के लिए एक अरब, छः करोड़, उन्सठ लाख, तिरयान्वे हजार रुपये,
मांग संख्या 22	—	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए बहत्तर लाख, बारह हजार रुपये,
मांग संख्या 28	—	राज्य विधान मण्डल के लिए आठ करोड़, बयालीस लाख, ग्यारह हजार रुपये,
मांग संख्या 29	—	न्याय प्रशासन और निर्वाचन के लिए छत्तीस करोड़, पच्चीस लाख, बयानवे हजार रुपये,
मांग संख्या 69	—	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण के लिए आठ करोड़, चौबीस लाख, तिरयालीस हजार रुपये, तथा
मांग संख्या 81	—	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए एक अरब, निन्यानवे करोड़, बावन लाख, पन्द्रह हजार रुपये.

तक की राशि दी जाये.

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

बुधवार, दिनांक 6 मार्च, 2002

(फाल्गुन 15, शक संवत् 1923)

1. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य डॉ. कन्हैयालाल शर्मा के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, सदस्य श्री महेश तिवारी, डॉ. रामलाल भारद्वाज, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री अमितेष शुक्ल, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये.

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि दी गई तथा शोक संतप्तजन के प्रति शोक संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगत के सम्मान में 12.16 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित होकर 12.27 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 05 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 09 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 19 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. ध्यानाकर्षण

(1) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, श्री अजय चन्द्राकर, श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सदस्य ने दुर्ग जिले में शासन द्वारा सूखा प्रभावित वर्षों की जल कर राशि कृषकों से वसूल किए जाने के संबंध में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री ताम्रध्वज साहू, राज्यमंत्री जल संसाधन ने इस पर वक्तव्य दिया.

(नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने किसानों के प्रति सरकार की हठधर्मिता के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया.)

(2) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने रायपुर शहर में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था न होने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री मेघाराम साहू, सदस्य ने सक्ती विधान सभा क्षेत्रांतर्गत उप-स्वास्थ्य केन्द्र, पोरथा में डाक्टरों की पदस्थी न होने,

(2) श्री दाऊराम रत्नाकर, सदस्य ने आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त की नियुक्ति न होने से कृषकों के प्रकरण लंबित होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

5. वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

श्री रविन्द्र चौबे, आवास एवं पर्यावरण मंत्री की मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) श्री नारायण प्रसाद चंदेल
(2) श्री हरषद मेहता
(3) श्री अमर अग्रवाल
(4) श्री डोमेन्द्र भेंडिया
(5) श्री अजय चन्द्राकर
(6) श्री धर्मजीत सिंह
(7) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर
(8) श्री धरम कौशिक
(9) डॉ. रामलाल भारद्वाज
(10) श्री शिवरतन शर्मा

श्री रविन्द्र चौबे, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री डेरहूप्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि—"दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई धनराशि—

मांग संख्या 10 — वन के लिए दो अरब, उन्सठ करोड़, उन्तालीस लाख, पांच हजार रुपये तक की राशि दी जाये.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) श्री ननकीराम कंवर

(2) श्री धर्मजीत सिंह

(3) श्री महेश तिवारी

(4) श्री डोमेन्द्र भेंडिया

श्री डेरहूप्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(3) श्री माधव सिंह ध्रुव, आदिमजाति कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि—दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई धनराशि—

मांग संख्या 15 — अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए पच्चीस करोड़, चौंसठ लाख, चौरासी हजार रुपये,

मांग संख्या 33 — आदिमजाति कल्याण के लिए दो अरब, अठयानवे करोड़, बहत्तर लाख, बयासी हजार रुपये,

मांग संख्या 41 — आदिवासी क्षेत्र उप-योजना के लिए पांच अरब, बयानवे करोड़, तेरह लाख, तिरसठ हजार रुपये,

मांग संख्या 42	—	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल के लिए उनसठ करोड़, इक्यासी लाख, चौवालीस हजार रुपये,
मांग संख्या 49	—	अनुसूचित जाति कल्याण के लिए तेरह करोड़, अठयासी लाख, सतहत्तर हजार रुपये,
मांग संख्या 53	—	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए दो करोड़, दो लाख, चौसठ हजार रुपये,
मांग संख्या 64	—	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए एक अरब, अट्ठावन करोड़, अठानवे लाख, चौंतीस हजार रुपये,
मांग संख्या 66	—	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए अठारह करोड़, नब्बे लाख, पंचानबे हजार रुपये,
मांग संख्या 68	—	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए चालीस करोड़, अड़तीस लाख, चौंतीस हजार रुपये,
मांग संख्या 77	—	बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए आठ करोड़ रुपये,
मांग संख्या 82	—	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए छियानबे करोड़, अट्ठावन लाख, इकतीस हजार रुपये,
मांग संख्या 83	—	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए दो करोड़, पचपन लाख, छिहत्तर हज़ार रुपये

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

तक की राशि दी जाए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) श्री ननकीराम कंवर

(2) श्री डोमेन्द्र भेंडिया

(3) श्री अजय चन्द्राकर

गुरुवार, दिनांक 7 मार्च, 2002

(फाल्गुन 16, शक संवत् 1923)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 24 तारांकित प्रश्नों में से 07 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित एक तारांकित प्रश्न का उत्तर तथा 14 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल की समाप्ति पर श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य द्वारा उठाये गये विषय को माननीय अध्यक्ष ने विलोपित किया. व्यवधान होने से सभा की कार्यवाही 1.05 बजे स्थगित हुई, 1.27 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

2. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, रविन्दरपाल सिंह भाटिया, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने शिक्षाकर्मियों की मांगे पूरी न होने की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री ताम्रध्वज साहू, राज्य मंत्री शिक्षा ने इस पर वक्तव्य दिया.

(नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर शिक्षाकर्मियों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया.)

(2) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, नारायण प्रसाद चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने कोरबा नगर पालिका निगम क्षेत्र में झुग्गियों को बलपूर्वक हटाये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री मेघाराम साहू, सदस्य ने सक्ती विधान सभा क्षेत्र की सड़कों को प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माण कराये जाने,

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने महासमुंद नर्सरी में कार्यरत मजदूरों को नौकरी से पृथक् किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

4. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन की प्रस्तुती एवं पारण

श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

प्रतिवेदन इस प्रकार है—समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 08 मार्च, 2002 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :—

	अशासकीय संकल्प		समय
1.	(क्रमांक 2)	श्री अमर अग्रवाल	45 मिनट
2.	(क्रमाक 11)	श्री बृजमोहन अग्रवाल	45 मिनट
3.	(क्रमांक 15)	डॉ. हरिदास भारद्वाज	01 घण्टा

श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

5. वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

श्री माधव सिंह ध्रुव, आदिमजाति कल्याण मंत्री की मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर पुनर्गृहीत चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) डॉ. हरिदास भारद्वाज

(2) श्री चोवादास खाण्डेकर

(3) श्री राजेन्द्र पामभोई

(4) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया

(5) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर

(6) इंजी. रामेश्वर खरे

(7) श्री गुलाब सिंह

(8) श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष

श्री माधव सिंह ध्रुव, आदिमजाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री धनेश पटिला, ऊर्जा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई धनराशि—

मांग संख्या 12 — ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिए एक अरब, दो करोड़, इकत्तीस लाख, साठ हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) श्री महेश तिवारी
(2) श्री धनाराम साहू
(3) श्री नारायण प्रसाद चंदेल
(4) श्री हरषद मेहता
(5) श्री ननकीराम कंवर

श्री धनेश पटिर्ला, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

औचित्य प्रश्न तथा व्यवस्था

खाद्य विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा प्रारम्भ करने की माननीय सभापति द्वारा जैसे ही घोषणा की गई, श्री बृजमोहन अग्रवाल तथा श्री महेश तिवारी, सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन कुछ ही देर पूर्व माननीय सदस्यों को प्राप्त हुआ है तथा विभाग के केबिनेट मंत्री भी सदन में उपस्थित नहीं हैं अत: खाद्य विभाग की मांगों पर चर्चा आज स्थगित की जाकर कल ली जाए.

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि परम्परानुसार माननीय सदस्यों को विभागों की ओर से संबंधित विभागों की मांगों पर चर्चा प्रारंभ होने के पूर्व प्रशासकीय प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि माननीय सदस्य उसका अध्ययन कर चर्चा में भाग ले सकें. इस संबंध में विधान सभा सचिवालय द्वारा संसदीय कार्य विभाग को पत्र भेजे गए हैं और समय-समय पर दूरभाष पर अवगत कराया जाता रहा है. इसके बावजूद भी समय पर प्रशासकीय प्रतिवेदन उपलब्ध न कराना चिन्ता का विषय है.

अत: पुन: माननीय मंत्रियों से अनुरोध है कि उनके विभागों की मांगों पर चर्चा प्रारंभ होने से पूर्व माननीय सदस्यों को प्रशासकीय प्रतिवेदन आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएं, भविष्य में इसका ध्यान रखा जाय तथा वरिष्ठ मंत्री भी चर्चा में रहें.

प्रतिवेदन से सदस्यों को आंकड़ों की मदद मिलती है इसीलिए यह परम्परा बनी हैं.

चूंकि प्रतिवेदन के मिलने में विलंब हुआ है, अत: चर्चा कल ली जायेगी.

शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च, 2002

(फाल्गुन 17, शक संवत् 1923)

1. विशेष उल्लेख

माननीय अध्यक्ष द्वारा विश्व महिला दिवस के अवसर पर उद्‌गार व्यक्त किये गये.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, सदस्य श्री महेश तिवारी व श्री हीरासिंह मरकाम ने भी उद्‌गार व्यक्त किए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल दिनांक 1 मार्च, 2002 की प्रश्नोत्तर सूची के स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक-277) सहित 25 तारांकित प्रश्नों में से एक प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछा गया तथा उत्तर दिया गया.

(दिनांक 1 मार्च, 2002 की प्रश्नोत्तर सूची के स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक-277) पर चर्चा के दौरान माननीय मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री महेश तिवारी, सदस्य के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया.)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 6 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 22 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल की समाप्ति पर सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, गौरीशंकर अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल ने अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य डॉ. कन्हैयालाल शर्मा की अंत्येष्टि में शासन की ओर से किसी प्रतिनिधि के उपस्थित न होने का मामला उठाया

माननीय अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में शासन को निर्देशित किए जाने पर संसदीय कार्यमंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने सदन को आश्वस्त किया कि इस संबंध में जिला प्रशासन को निर्देशित किया जाएगा तथा जांच कर सदन को भी अवगत कराया जाएगा.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 16 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1882/एफ-10/324/2001/वाक/पांच(45) दिनांक 1 सितम्बर, 2001 पटल पर रखी.

4. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री गौरीशंकर अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने प्रदेश के अधिकांश जिलों से श्रमिकों द्वारा पलायन किये जाने के संबंध में श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री शंकर सोढ़ी, श्रम मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री धरम कौशिक, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने जिला बिलासपुर के हिर्री थानान्तर्गत नाबालिग लड़की का अपहरण किए जाने के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने धमतरी जिले के ग्राम पण्डरीपानी निवासी सुनीता बाई पिता सुधराम साहू की गुमशुदा रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं किये जाने,

(2) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने धमतरी जिले के मगरलोड विकासखण्ड अंतर्गत पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरी की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

6. जांच समिति के दस्तावेजों के अवलोकन की अनुमति का प्रस्ताव

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि—"आदिमजाति कल्याण विभाग में फर्नीचर क्रय में अनियमितता की जांच हेतु गठित सदन की जांच समिति के समक्ष साक्षियों द्वारा दिये गये कथनों की मांग राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर द्वारा की गई है.

चूंकि समिति के समक्ष दिये गये कथन गोपनीय स्वरूप के हैं और सदन की संपत्ति हैं इसलिए कथनों का अवलोकन राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, छत्तीसगढ़ शासन के अधिकृत अधिकारी विधान सभा सचिवालय में आकर कर सकते हैं.

क्या सदन की अनुमति है कि जांच समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के अंश राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों के अधिकृत अधिकारियों को दिखाए जाएं ?

अनुमति प्रदान की गई.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक-7 सन् 2002) पुर:स्थापित किया.

8. वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

(1) श्री चनेशराम राठिया, खाद्य मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई धनराशि—

मांग संख्या 39 — खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के लिए एक अरब, अठ्यासी करोड़, सोलह लाख, पन्द्रान्वे हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल

(2) डॉ. हरिदास भारद्वाज

(3) श्री गौरीशंकर अग्रवाल

(4) श्री हरषद मेहता

(5) श्री अमर अग्रवाल

श्री चनेशराम राठिया, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई धनराशि—

मांग संख्या 27	—	स्कूल शिक्षा के लिए छः अरब, सैंतीस करोड़, उन्नीस लाख, छत्तीस हजार रुपये,
मांग संख्या 44	—	उच्च शिक्षा के लिए नवासी करोड़, छत्तीस लाख रुपये,
मांग संख्या 46	—	विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिए सन्तानबे लाख, छियालीस हजार रुपये, तथा
मांग संख्या 47	—	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग के लिए बयालीस करोड़, उनतीस लाख, सात हजार रुपये,

तक की राशि दी जाये.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) श्री मेघाराम साहू

माननीय उपाध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री की अनुदान मांगें स्वीकृत होने के पश्चात् अशासकीय कार्य लिए जाने की सदन से सहमति चाही.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

(2) श्री हरषद मेहता
(3) श्री शिवरतन शर्मा
(4) श्री मंतुराम पवार
(5) श्री अजय चन्द्राकर
(6) डॉ. हरिदास भारद्वाज
(7) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में दर्ज अशासकीय संकल्प आगामी अशासकीय दिवस पर लिए जाने की घोषणा की.

बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 2002

(फाल्गुन 22, शक संवत् 1923)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 07 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 19 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 32 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल, शिवरतन शर्मा, गौरीशंकर अग्रवाल, सदस्य ने बुनकर सहकारी संस्थाओं को विभाग द्वारा सूत प्रदान न करने तथा हथकरघा बुनकरों को रोजगार न मिलने की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री विधान मिश्रा, राज्यमंत्री ग्रामोद्योग ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री मघाराम साहू, सदस्य ने ग्राम पंचायत जुड़वा के सरपंच एवं सचिव द्वारा इंदिरा आवास अंतर्गत क्रेटल शेड निर्माण राशि में गड़बड़ी किये जाने.

(2) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, सदस्य ने विकासखण्ड डौण्डी लोहारा के सरपंच की हत्या किये जाने.

(3) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने कोरबा जिले में श्रम के बदले अनाज योजना में अनियमितता होने.

(4) श्री संजीव शाह, सदस्य ने लोक निर्माण विभाग, जशपुर द्वारा सामग्री क्रय में भ्रष्टाचार किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ीं.

4. वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

(1) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई धनराशि—

मांग संख्या 1	—	सामान्य प्रशासन के लिए बत्तीस करोड़, छिहत्तर लाख, सत्तर हजार रुपये.
मांग संख्या 2	—	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए दो करोड़, अठहत्तर लाख, चौंतीस हजार रुपये,
मांग संख्या 19	—	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए एक अरब, सत्तासी करोड़, इक्यानबे लाख, पैंसठ हजार रुपये,
मांग संख्या 61	—	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए चार करोड़, पच्चीस लाख, दस हजार रुपये, तथा
मांग संख्या 79	—	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिए अड़तालीस करोड़, तीन लाख, चौवन हजार रुपये,

तक की राशि दी जाये.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में श्री ननकीराम कंवर, श्री गणेश शंकर वाजपेयी, श्री अजय चन्द्राकर, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री नारायण प्रसाद चंदेल, डॉ. रामलाल भारद्वाज, श्री लीलाराम भोजवानी, श्री छतराम देवांगन, श्री लखमा, श्री गौरीशंकर अग्रवाल, सदस्यों ने भाग लिया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री महेन्द्र कर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई धनराशि—

मांग संख्या 11 — वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए पन्द्रह करोड़, पचास लाख, सोलह हजार रुपये,

मांग संख्या 56 — ग्रामोद्योग के लिए बारह करोड़, पचपन लाख, उन्तालीस हजार रुपये, तथा

मांग संख्या 78 — ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पांच करोड़, तिरसठ लाख, चौबीस हजार रुपये,

तक की राशि दी जाये.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) श्री अमर अग्रवाल

(2) श्री डोमेन्द्र भेंडिया

(3) श्री गौरीशंकर अग्रवाल

(4) श्री परेश बागबाहरा

(5) श्री लीलाराम भोजवानी

श्री महेन्द्र कर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(3) श्री नन्दकुमार पटेल, गृह मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि—दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई धनराशि—

मांग संख्या 3 — पुलिस के लिए दो अरब, इक्यानवे करोड़, बांसठ लाख, चौसठ हजार रुपये,

मांग संख्या 4 — गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए दो करोड़, आठ लाख, तिहत्तर हजार रुपये,

मांग संख्या 5 — जेल के लिए उन्नीस करोड़, बहत्तर लाख, पच्चीस हजार रुपये,

मांग संख्या 36 — परिवहन के लिए नौ करोड़, इकत्तीस लाख, अड़तालीस हजार रुपये, तथा

मांग संख्या 65 — विमानन विभाग के लिए चार करोड़, चार लाख रुपये,

तक की राशि दी जाए.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

गुरुवार, दिनांक 14 मार्च, 2002

(फाल्गुन 23, शक संवत् 1923)

1. अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थितजनों का स्वागत

माननीय अध्यक्ष द्वारा सभा की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित उत्तरप्रदेश के पूर्व राज्यपाल आदरणीय श्री मोतीलाल वोरा, गोवा के पूर्व राज्यपाल श्री भानुप्रताप सिंह, सांसद श्री चरणदास महंत सहित समस्त उपस्थितजनों का सदन की ओर से स्वागत किया गया.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 07 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 22 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 24 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री ननकीराम कंवर, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने जिला बिलासपुर के ग्राम मुंगेली में युवक की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री धरम कौशिक, शिवरतन शर्मा, ननकीराम कंवर, सदस्य ने प्रदेश में वन्य पशुओं के द्वारा की जा रही जन-धन की हानि की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री डेरहूप्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान प्रथमतः श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने तथा बाद में नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने माननीय मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.)

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में पंजीकृत आधा टन क्षमता की राइस मिलों को कस्टम मिलिंग की बाध्यता से मुक्त करने,

(2) श्री मेघाराम साहू, सदस्य ने सक्ती विधान सभा क्षेत्र के उमरेली जर्वे के बीच सोन नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(3) प्रो. गोपालराम, सदस्य ने जनपद पंचायत मैनपाठ में परिवहन टैक्स की फर्जी रसीद दिये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

5. वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

(1) श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री के विभागों की मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर प्रारम्भ हुई चर्चा में सर्वश्री शिवरतन शर्मा, हरषद मेहता, दाऊराम रत्नाकर, धरम कौशिक, डोमेन्द्र भंडिया, इंजी. रामेश्वर खरे, नारायण प्रसाद चंदेल, लखमा, प्रो. गोपालराम, ननकीराम कंवर, चैनसिंह सामले, जगजीत सिंह मक्कड़, सदस्यों ने भाग लिया.

श्री नंदकुमार पटेल गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री अमितेष शुक्ल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई धनराशि—

मांग संख्या 30 — पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय के लिए एक अरब, उनहत्तर करोड़, बानवे लाख, तिरानवे हजार रुपये, तथा

मांग संख्या 80 — त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए दो अरब, उन्तीस करोड़, अट्ठानवे लाख, चौदह हजार रुपये,

तक की राशि दी जाये.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) श्री धरम कौशिक

(2) श्री धर्मजीत सिंह

(3) श्री अजय चन्द्राकर

(4) श्री गणेश शंकर बाजपेयी

(5) श्री चोवादास खाण्डेकर

माननीय उपाध्यक्ष द्वारा सदन की सहमति से पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री की मांगों पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की.

(6) श्री मेघाराम साहू

(7) श्री विक्रम मोहले

(8) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर

श्री अमितेष शुक्ल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च, 2002

(फाल्गुन 24, शक संवत् 1923)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 23 तारांकित प्रश्नों में से 07 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में 20 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 15 मार्च, 2002 को संपन्न हुई जिसमें निम्नलिखित कार्य के लिए उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :–

(1) शासकीय विधि विषयक कार्य

	निर्धारित समय
1. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2002	1 घंटा

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 16 मार्च, 2002 को 12.00 बजे दिन से सायंकाल 6.30 बजे तक रखी जाय.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि–शासकीय विधेयक पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई गई हैं, सदन उन्हें स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

3. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री लीलाराम भोजवानी, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में विभिन्न जिलों की कृषि उपज मण्डियों द्वारा धान खरीदी में अनियमितता किये जाने के संबंध में खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री मोहम्मद अकबर, राज्यमंत्री खाद्य, ने इस पर वक्तव्य दिया.

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने शासन द्वारा किसानों का धान न खरीदे जाने के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया.)

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने प्रदेश की राजधानी रायपुर में पुलिस की लचर व्यवस्था एवं लापरवाही के कारण डकैती होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्रीमती रानी रत्नमाला देवी, सदस्य ने सार्वजनिक मंदिर न्यास चंद्रपुर के न्यासियों द्वारा कृषि भूमि एवं भवनों को नियम विरूद्ध आवंटन करने,

(2) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने बलौदा विकासखण्ड के ग्राम डोंगरी अंतर्गत भाठापाली में विद्युत की व्यवस्था सुधारे जाने,

(3) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने सरगुजा जिले के आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शालाओं के भवनों की मरम्मत न की जाने,

(4) प्रो. गोपालराम, सदस्य ने जिला सरगुजा के ग्राम सीतापुर की भूमि के नामांतरण में हेराफेरी किये जाने,

(5) श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने पत्थलगांव के श्री सत्यनारायण अग्रवाल द्वारा बेजा कब्जा किए जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

श्री बृजमोहन अग्रवाल तथा भाजपा सदस्यों ने छत्तीसगढ़ में विश्व हिन्दू परिषद के पदाधिकारियों को घरों में नजरबंद किये जाने का मामला उठाया तथा गृह मंत्री के बयान की मांग की.

व्यवधान होने से 2.12 बजे सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई. 2.21 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

माननीय उपाध्यक्ष के निर्देश पर श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने वस्तुस्थिति की संक्षिप्त जानकारी दी.

व्यवधान होने से 2.35 बजे सदन की कार्यवाही पुनः 10 मिनट के लिए स्थगित की गई. 2.47 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

5. वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

(1) श्रीमती गीता देवी सिंह, कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई धनराशि—

मांग संख्या 34 — समाज कल्याण के लिये सात करोड़, अट्ठाईस लाख, अड़सठ हजार रुपये, तथा

मांग संख्या 55 — महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय के लिये एक अरब, तेरह करोड़, छियालीस लाख, इक्यानबे हजार रुपये,

तक की राशि दी जाये.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, श्री संजीव शाह, श्रीमती इन्ग्रिड क्रिस्टिन मैकलॉउड, श्रीमती रानी रत्नमाला देवी, सदस्यों ने भाग लिया.

श्री बदरूद्दीन कुरैशी, राज्यमंत्री कल्याण ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) डॉ. प्रेमसाय सिंह, कृषि मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई धनराशि—

मांग संख्या 13 — कृषि के लिये इक्यानबे करोड़, पचहत्तर लाख, उनचास हजार रुपये,

मांग संख्या 14 — पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय के लिये सैंतालीस करोड़, अस्सी लाख, दस हजार रुपये,

मांग संख्या 16 — मछली पालन के लिये पांच करोड़, सत्रह लाख, साठ हजार रुपये,

मांग संख्या 17 — सहकारिता के लिये सत्ताईस करोड़, आठ लाख, छियानबे हजार रुपये,

मांग संख्या 54 — कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिये सोलह करोड़, बहत्तर लाख, नब्बे हजार रुपये, तथा

मांग संख्या 71 — पशुपालन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये एक करोड़, अट्ठानबे लाख, उनासी हजार रुपये,

तक की राशि दी जाये.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) श्री अजय चन्द्राकर

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य का भाषण पूर्ण होने उपरांत अशासकीय कार्य लिए जाने की घोषणा की.

6. अशासकीय संकल्प

(1) श्री अमर अग्रवाल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि—"सदन का यह मत है कि प्रदेश के छोटे-बड़े शहरों में स्थापित नर्सिंग होम्स (निजी चिकित्सालय) में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाए जाने एवं नर्सिंग होम्स के संचालन हेतु नियम बनाये जाएं" तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री नारायण प्रसाद चंदेल व डॉ. रामलाल भारद्वाज, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत संकल्प अस्वीकृत हुआ.

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि—"सदन का यह मत है कि प्रदेश में अनुकम्पा नियुक्ति के विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण कर संबंधितों को नियुक्ति प्रदान की जाए" तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सर्वश्री हरषद मेहता, छतराम देवांगन, लखमा, शिवरतन शर्मा, लीलाराम भोजवानी, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत संकल्प अस्वीकृत हुआ.

(3) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि—यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि"प्रदेश में बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को शिथिल कर उबड़-खाबड़ तथा पथरीली वन भूमि में आपासी हेतु सिंचाई बांध बनाने की छूट दी जावे" तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सर्वश्री धरम कौशिक, धर्मजीत सिंह, लीलाराम भोजवानी, धनाराम साहू, अग्नि चंद्राकर, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

डेरहूप्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत संकल्प वापस हुआ.

7. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

दिनांक 7 मार्च, 2002 को उद्योग मंत्री से पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक-910) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा उठायी.

श्री महेन्द्र कर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

शनिवार, दिनांक 16 मार्च, 2002

(फाल्गुन 25, शक संवत् 1923)

वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह, कृषि मंत्री के विभागों की मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर पुनर्गृहीत चर्चा में श्री अग्नि चन्द्राकर, डॉ. रामलाल भारद्वाज, सर्वश्री छतराम देवांगन, शिवरतन शर्मा, घनाराम साहू, ननकीराम कंवर, गणेश शंकर वाजपेयी, सदस्यों ने भाग लिया.

डॉ. प्रेमसाय सिंह, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री रामपुकार सिंह, खनिज साधन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई धनराशि—

मांग संख्या 25 — खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिये सोलह करोड़, इकतालीस लाख, चौदह हजार रुपये, तथा

मांग संख्या 32 — जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिये तेरह करोड़, पचासी लाख, अड़तीस हजार रुपये,

तक की राशि दी जाए.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री लीलाराम भोजवानी, धर्मजीत सिंह, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्यों ने भाग लिया.

श्री रामपुकार सिंह, खनिज साधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(3) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई धनराशि—

मांग संख्या 6 — वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिये चार अरब, पन्द्रानबे करोड़, बयालीस लाख, सात हजार रुपये,

मांग संख्या 7 — वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिए उनहत्तर करोड़, छियासठ लाख, अस्सी हजार रुपये,

मांग संख्या 31 — योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिये छः करोड़, उनासी लाख, अठारह हजार रुपये,

मांग संख्या 48 — ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान के लिये चालीस करोड़, इक्यावन लाख, पचास हजार रुपये,

मांग संख्या 50 — बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिये एक करोड़, पन्चानबे हजार रुपये, तथा

मांग संख्या 60 — जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिये तेरह करोड़, अठासी लाख रुपये,

तक की राशि दी जाये.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल

(2) डॉ. रामलाल भारद्वाज

(3) श्री ननकीराम कंवर

(4) श्री राजेन्द्र पामभोई

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(4) श्री शंकर सोढ़ी, श्रम मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई धनराशि—

मांग संख्या 18 — श्रम के लिये आठ करोड़, उन्नीस लाख, बत्तीस हजार रुपये, तथा

मांग संख्या 43 — खेल और युवक कल्याण के लिए एक करोड़, इकहत्तर लाख, चौहत्तर हजार रुपये,

तक की राशि दी जाये.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में सर्वश्री लीलाराम भोजवानी, महेन्द्र बहादुर सिंह, अजय चन्द्राकर, हरषद मेहता, राजेन्द्र पामभोई सदस्यों ने भाग लिया.

श्री शंकर सोढ़ी, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2002

(फाल्गुन 27, शक संवत् 1923)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 06 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

[तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 1044) निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शालाओं के उन्नयन के लिए कराये गये सर्वेक्षण संबंधी सदस्य श्री शिवरतन शर्मा के प्रश्न पर चर्चा के दौरान श्री महेश तिवारी, सदस्य के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने राज्यमंत्री शिक्षा के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.]

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 21 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 21 तारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

(1) श्री दाऊराम रत्नाकर, सदस्य ने सिंधु प्लांटेशन एवं शिवनाथ प्लांटेशन कम्पनी द्वारा कृषकों की भूमि पर कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री रामविचार नेताम, ननकीराम कंवर, सदस्य ने प्रदेश की शालाओं में शिक्षकों की कमी होने की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री ताम्रध्वज साहू, राज्यमंत्री शिक्षा ने इस पर वक्तव्य दिया.

(कार्यसूची में दर्ज द्वितीय ध्यानाकर्षण को माननीय सभापति ने आगामी कार्य दिवस के लिए स्थगित किया.)

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्रीमती रानी रत्नमाला देवी, सदस्य ने विकासखण्ड डभरा के अधिकांश ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य बंद होने,

(2) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने विकासखण्ड पत्थलगांव की ग्राम पंचायतों में चालू योजनाओं में गड़बड़ी की जाने,

(3) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने विकासखण्ड बलोदा के ग्रामों में पेयजल की समस्या होने,

(4) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने ग्रामीण सहकारी समिति बेलसोड़ा एवं बरोड़ा बाजार के अधिकारियों की लापरवाही से किसानों के डिफाल्टर होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह, कृषि मंत्री ने सदन की अनुमति से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्र. 9 सन् 2002) पुर:स्थापित किया.

(2) श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्र. 10 सन् 2002) पुर:स्थापित किया.

5. वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

(1) श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई धनराशि—

मांग संख्या 8 — भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिये एक अरब, दो करोड़, पचपन लाख, बासठ हजार रुपये,

मांग संख्या 9 — राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिये चार करोड़, निन्यानवे लाख, अट्ठानवे हजार रुपये,

मांग संख्या 35 — पुनर्वास के लिये एक करोड़, पैंसठ लाख, सैंतीस हजार रुपये, तथा

मांग संख्या 58 — प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिये एक अरब, चालीस करोड़, आठ लाख, बासठ हजार रुपये,

तक की राशि दी जाये.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) श्री अजय चन्द्राकर
(2) डॉ. हरिदास भारद्वाज
(3) श्री धरम कौशिक
(4) श्री डोमेन्द्र भेडिया
(5) श्री दाऊराम रत्नाकर
(6) श्री छतराम देवांगन
(7) श्री अग्नि चन्द्राकर
(8) श्री रामविचार नेताम
(9) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर
(10) श्री लीलाराम भोजवानी
(11) श्री देवव्रत सिंह
(12) श्री हरषद मेहता

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री तरूण चट जी, लोक निर्माण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई धनराशि—

मांग संख्या 24 — लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए एक अरब, तिरासी करोड़, अड़तीस लाख, पचास हजार रुपये,

मांग संख्या 67 — लोक निर्माण कार्य-भवन के लिये एक अरब, सोलह करोड़, साठ लाख, पांच हजार रुपये, तथा

मांग संख्या 76 — लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये पचास लाख रुपये,

तक की राशि दी जाये.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) श्री नारायण प्रसाद चंदेल

(2) डॉ. रामलाल भारद्वाज

(3) श्री दाऊराम रत्नाकर

(4) श्री शिवरतन शर्मा

(5) श्री हरषद मेहता

(6) श्री रामविचार नेताम

(7) श्री अग्नि चन्द्राकर

(8) श्री धरम कौशिक

(9) श्री लीलाराम भोजवानी

श्री तरूण चटर्जी, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(3) श्री धनेन्द्र साहू, राज्यमंत्री पर्यटन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई धनराशि—

मांग संख्या 26 — संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय के लिये तीन करोड़, बारह लाख, अड़तालीस हजार रुपये,

मांग संख्या 37 — पर्यटन के लिये पांच करोड़, छियानबे लाख रुपये, तथा

मांग संख्या 51 — धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिये तिरसठ लाख, तीस हजार रुपये,

तक की राशि दी जाये.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्यों ने भाग लिया.

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से माननीय मंत्री का उत्तर तथा मांगों पर मतदान पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की.

श्री धनेन्द्र साहू, राज्यमंत्री संस्कृति एवं पर्यटन ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2002

(फाल्गुन 28, शक संवत् 1923)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल दिनांक 25 फरवरी, 2002 की प्रश्नोत्तर सूची के स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या-13 (क्र. 231) राजधानी निर्माण में अपनायी गई प्रक्रिया संबंधी प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष ने यह मत व्यक्त किया कि प्रश्न जनहित का एवं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. अतः इस विषय पर नियम-139 के अधीन सदन में डेढ़ घंटे की अलग से चर्चा करायी जाएगी जो कि अधिक उपयुक्त होगी. माननीय अध्यक्ष के सुझाव के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नकर्त्ता सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 05 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

[तारांकित प्रश्न संख्या-3 (क्र. 460) तथा तारांकित प्रश्न संख्या-6 (क्र. 1139) पर चर्चा के दौरान श्री महेश तिवारी, सदस्य के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने माननीय मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर शासन की किसान विरोधी नीति के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया.]

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 35 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) तथा उसके साथ पठित मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 35 (1) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष का (वाणिज्यिक) पटल पर रखा.

3. ध्यानाकर्षण

(1) श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने राजनांदगांव शहर की पेयजल आवर्धन योजना पूर्ण न होने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने राजनांदगांव जिले की छुरिया विकासखण्ड में गौ सेवक की ट्रक चालक द्वारा हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री संजीव शाह, सदस्य ने राजनांदगांव अंतर्गत युक्तियुक्तकरण के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण में अनियमितताएं होने,

(2) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने सहायक संचालक, मत्स्य विभाग, राजनांदगांव द्वारा फर्जी यात्रा देयक भुगतान प्राप्त किये जाने,

(3) श्रीमती रानी रत्नमाला देवी, सदस्य ने विकासखण्ड डभरा में नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु स्वीकृति प्राप्त होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं होने,

(4) श्री ब्रजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने कटघोरा विधान सभा के हजारों उपभोक्ताओं को विद्युत व्यवस्था से वंचित होने,

(5) श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने राजनांदगांव शहर स्थित पुराना अस्पताल की प्रशासन द्वारा उपेक्षा किये जाने, संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

5. वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

(1) डॉ. शक्राजीत नायक, जल संसाधन, राज्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई धनराशि—

मांग संख्या 23 — जल संसाधन विभाग के लिये तीन अरब, सत्ताईस करोड़, तीस लाख, तिरपन हजार रुपये,

मांग संख्या 40 — आयाकट विभाग से संबंधित व्यय के लिये दो करोड़, पन्द्रह लाख रुपये,

मांग संख्या 45 — लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिये इकतीस करोड़, पच्चीस लाख, सत्तर हजार रुपये,

मांग संख्या 57 — जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये चार करोड़, पचास लाख रुपये, तथा

मांग संख्या 75 — जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये सत्ताईस करोड़ रुपये,

तक की राशि दी जाये.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में श्री महेश तिवारी, श्री घनाराम साहू, प्रो. गोपालराम, श्री ननकीराम कंवर, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री नारायण प्रसाद चंदेल, श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, श्री गणेश शंकर वाजपेयी, श्री धर्मजीत सिंह, श्री देवव्रत सिंह, श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्यों ने भाग लिया.

डॉ. शक्राजीत नायक, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री गंगूराम बघेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई धनराशि—

मांग संख्या 20 — लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए एक अरब, बावन करोड़, नवासी लाख, बारह हजार रुपये.

तक की राशि दी जाये.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) श्री छतराम देवांगन

(2) श्री धर्मजीत सिंह

(3) श्री लीलाराम भोजवानी

(4) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर

(5) श्री धरम कौशिक

(6) प्रो. गोपालराम

(7) श्री घनाराम साहू

(8) श्री शिवरतन शर्मा

(9) डॉ. हरिदास भारद्वाज

श्री गंगूराम बघेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2002 पुर:स्थापित किया.

(2) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 35 सन् 2001) पर विचार किया जाए.

बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 2002

(फाल्गुन 29, शक संवत् 1923)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 02 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 27 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 38 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. वक्तव्य

कत्लखानों तथा बूचड़खानों के लिए पशु तस्करी पर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में गृह मंत्री श्री नंदकुमार पटेल ने संक्षिप्त वक्तव्य दिया.

श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, तथा भाजपा सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों तथा कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा वितंतु संदेश से जानकारी एकत्रित करने तथा उनको प्रताड़ित किए जाने का मामला उठाया.

व्यवधान होने से 1.09 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई. 1.24 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

भाजपा सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये.

व्यवधान होने से 1.29 बजे सदन की कार्यवाही पुनः 10 मिनट के लिए स्थगित की गई. 1.46 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि इस विषय में दी गई स्थगन की सूचना को ध्यानाकर्षण के रूप में ले लिया जाएगा. उन्होंने सदन की कार्यवाही चलने देने का विपक्षी सदस्यों से आग्रह किया.

भाजपा सदस्यों ने नारे लगाए. व्यवधान होने से 1.55 बजे सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की गई. 2.31 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (क) (9) तथा नियम 265 (1) का उल्लेख करते हुए माननीय उपाध्यक्ष से इस पर व्यवस्था चाही.

सदस्य सर्वश्री महेश तिवारी, बृजमोहन अग्रवाल ने आसंदी से जानना चाहा कि क्या गृह मंत्री ने उपरोक्त नियम का उल्लेख करके विपक्ष के सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा है ?

(भाजपा सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए.)

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि नियम 250 (क) (9) सामान्य पालनीय नियम है. लेकिन व्यवहार में कई बार सदस्य अपनी बात कहने हेतु आसंदी से आग्रह करते हैं. यह असामान्य बात नहीं है.

जहां तक 265 (1) का प्रश्न है, यह नियमानुकूल नहीं है. व्यवस्था नियम 268 के तहत आसंदी को बनाना है. मैं किसी सदस्य को नेम करने की आवश्यकता नहीं समझता. जहां तक आवेदन का प्रश्न है, माननीय गृह मंत्री जी की ओर से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि "आसंदी द्वारा मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी गई थी, किन्तु विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने तेज आवाजें पैदा कर सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया, जिसके फलस्वरूप वे सदन की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो जाते हैं."

तेज आवाज तथा सदन में व्यवधान उत्पन्न करने से सदस्य की सदस्यता निलंबित नहीं होती, न ही नियमों में इसका प्रावधान है. इस संबंध में, नियम 250 (1) निम्नानुसार है—

"250 (1) सभा की बैठक के चलते कोई भी सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में नहीं आएगा. ऐसे सदस्य की सदस्यता, जो गर्भगृह में प्रवेश करता है, सभा कार्यवाही से स्वमेव उतनी अवधि के लिए निलंबित मानी जायेगी, जैसा कि अध्यक्ष विनिश्चय करे."

अतः व्यवस्था का प्रश्न अग्राह्य किया जाता है. माननीय उपाध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही आगे चलने देने की अपील की.

व्यवधान के बीच भाजपा सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री ताम्रध्वज साहू, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) का सैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 (दिनांक 1-07-2000 से दिनांक 30-06-2001 तक) पटल पर रखा.

नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने गृह मंत्री से उनके आचरण के लिए माफी मांगने की मांग की.

भाजपा सदस्यों द्वारा नारे लगाये गए.

व्यवधान होने पर माननीय उपाध्यक्ष ने दुःख व्यक्त करते हुए सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की. 3.15 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

कार्यवाही प्रारंभ होते ही भाजपा सदस्यों द्वारा गृह मंत्री से माफी मांगने की मांग करते हुए नारे लगाए गए.

लगातार व्यवधान रहने से माननीय उपाध्यक्ष ने यह कहते हुए कि चूंकि सदस्य सदन को चलाना नहीं चाहते और आज विनियोग विधेयक को पारित कराना आवश्यक है लेकिन ऐसी स्थिति में विनियोग विधेयक को पारित कराना उनके लिए संभव नहीं है. उन्होंने सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी.

गुरुवार, दिनांक 21 मार्च, 2003

(फाल्गुन 30, शक संवत् 1923)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 04 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए.

[कोसमसरा (कसडोल) गांव की आदिवासी सतनामी ग्रामीण महिलाओं को वनकर्मियों द्वारा की गई गिरफ्तारी संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 1456) पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने माननीय मंत्री द्वारा अधूरी जानकारी दिए जाने के खिलाफ माननीय मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.]

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 26 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 35 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, ननकीराम कंवर, सदस्य ने रायपुर शहर में रजिस्ट्री संबंधी कार्यों में हो रही अनियमितताओं की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, श्री अग्नि चन्द्राकर, श्री चैनसिंह सामले, सदस्य ने खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् भी योजना का शीघ्र क्रियान्वयन न होने के संबंध में राज्यमंत्री, जल संसाधन का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. शक्राजीत नायक, राज्यमंत्री जल संसाधन ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में पेयजल की समस्या को अतिशीघ्र दूर करने,

(2) श्री मेघाराम साहू, सदस्य ने सक्ती विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरपालीकला में पेयजल की समस्या होने,

(3) श्री संजीव शाह, सदस्य ने राजनांदगांव सामान्य वन मंडल अंतर्गत तेन्दूपत्ता संग्रहण हेतु क्रय सामग्री के रख-रखाव में लापरवाही बरतने,

(4) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने रायपुर के ग्राम कनकी में ट्रांसफार्मर न बदलने से लो-वोल्टेज की समस्या होने,

(5) श्रीमती रानी रत्नमाला देवी, सदस्य ने बाल विकास परियोजना, डभरा में आयोजित शिविरों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित न करने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

4. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन की प्रस्तुती एवं पारण

डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. प्रतिवेदन इस प्रकार है :—

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2002 को के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :—

		अशासकीय संकल्प	समय
1.	(क्रमांक 6)	श्री अमर अग्रवाल	45 मिनिट
2.	(क्रमांक 13)	श्री देवव्रत सिंह	01 घंटा 15 मिनिट
3.	(क्रमांक 18)	श्री चैनसिंह सामले	30 मिनिट

डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने धमतरी जिले के :—

(1) ग्राम सिंगपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने एवं ग्राम बड़े करेली तथा सिरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये भवन निर्माण कराये जाने,

(2) ग्राम भैंसमुड़ी के कन्या मिडिल स्कूल को हाईस्कूल में तथा ग्राम मेघा, बड़े करेली एवं खिसरो के कन्या प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में उन्नयन किए जाने, एवं

(3) नगरी-दुगली-सिंगपुर-मेघा-परसवानी-राजिम मार्ग को डामरीकृत नया मार्ग बनाये जाने,

के संबंधक में याचिकाएं प्रस्तुत की.

6. औचित्य प्रश्न तथा व्यवस्था

माननीय उपाध्यक्ष ने श्री महेन्द्र कर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से कार्यसूची में दर्ज शासकीय संकल्प प्रस्तुत करने हेतु कहा, श्री महेश तिवारी, सदस्य ने विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 120 तथा 121 का उल्लेख करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि इस संकल्प के 6 पैराग्राफ में जो भूमिका बांधी गयी है वह अनावश्यक तथा तथ्यों से परे हैं. संकल्प यथापरक तथा संक्षिप्त होना चाहिए, उसमें कल्पना से काम नहीं लिया जाना चाहिए.

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि संकल्प पर संशोधन देने के लिए माननीय सदस्यों के पास पर्याप्त समय था. रहा सवाल इस संकल्प के स्वरूप पर जो माननीय सदस्य ने नियमों का हवाला देते हुए अपनी बात रखी है तो नियम 121 (1) में स्पष्ट दिया है— "अध्यक्ष यह विनिश्चित करेगा कि संकल्प नियमों के अधीन ग्राह्य है अथवा नहीं और वह ऐसे किसी संकल्प को अस्वीकृत कर सकेगा, जो उसकी राय में इन नियमों का पालन न करता हो :

परंतु वह उसके रूप में संशोधन कर सकेगा या संबंधित सदस्य को उसे संशोधित करने का अवसर दे सकेगा."

जब माननीय अध्यक्ष ने इस संकल्प को ग्राह्य कर लिया तथा उसके स्वरूप पर अपनी संतुष्टि प्राप्त कर ली या समाधान कर लिया तो अब इस पर किसी प्रकार की आपत्ति करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने संकल्प पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा कि इस संकल्प को इस प्रकार से लाने से संघीय ढांचे को ठेस पहुंचेगी तथा केन्द्र-राज्य संबंधों में दरार पड़ेगी इसलिए इस संकल्प पर चर्चा करना औचित्यपूर्ण नहीं है.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने कहा कि किसी विषय को अच्छे तरीके से समझाने के लिए कई बार विधान सभा में इस प्रकार के संकल्प लाये गये हैं.

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि राज्य शासन कोई भी संकल्प सदन में ला सकता है, केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जा सकता है, उस संकल्प के कन्टेन्ट्स के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है अतः इसमें किसी प्रकार की आपत्ति की बात नहीं है.

7. संकल्प

श्री महेन्द्र कर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :—

यतः छत्तीसगढ़ की विधान सभा यह मानती है कि दुर्ग जिले में भिलाई इस्पात संयंत्र पर छत्तीसगढ़ राज्य की जनता की खुशहाली निर्भर है और राष्ट्र के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. पं. जवाहरलाल नेहरू ने इस संयंत्र को उद्योग तीर्थ का दर्जा दिया.

तथा यतः अपनी स्थापना के उपरांत विगत 45 वर्षों में भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपनी क्षमता का कई गुना विस्तार किया जिसका मुख्य कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का सहयोग और सकारात्मक श्रमिक माहौल है, जिसके कारण इस संयंत्र ने लगातार लाभार्जन करते हुये देश के सार्वजनिक उपक्रमों की श्रृंखला में अद्वितीय कीर्तिमान एवं ख्याति अर्जित की है.

तथा यतः तत्समय की आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हुए भिलाई स्टील संयंत्र को राउरकेला और दुर्गापुर संयंत्रों के साथ जोड़कर स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया का गठन किया गया, परंतु भिलाई संयंत्र द्वारा लगातार लाभार्जन के उपरांत भी घाटे में चल रहे अन्य संयंत्रों के कारण भिलाई स्टील संयंत्र विस्तार और आधुनिकीकरण में पिछड़ रहा है.

तथा यतः भिलाई स्टील संयंत्र की स्थापना के बाद लगभग 200 सहायक उद्योगों और जिला बिलासपुर से राजनांदगांव तक के क्षेत्र में 500 आनुषंगिक उद्योग इकाइयों की स्थापना हो चुकी है जिससे समूचा छत्तीसगढ़ क्षेत्र मशीनी, फेब्रीकेशन, कास्टिंग, फेरो एलायज, फोर्जिन, मिनी स्टील प्लांट जैसी इकाइयों के कारण एक विशिष्ट अस्तित्व वाला मेटलर्जिकल बेल्ट (धातु शोधन क्षेत्र) बना है और प्रदेश में लगभग 10 लाख परिवार भिलाई स्टील संयंत्र से प्रत्यक्ष रूप से रोजगार एवं अन्य माध्यमों से लाभान्वित हो रहे हैं.

तथा यतः छत्तीसगढ़ के पिछड़े क्षेत्रों के सार्वजनिक और आर्थिक विकास के आधार रहे इस संयंत्र को स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया के अन्य हानि अर्जित करने वाले संयंत्रों के साथ जुड़े रहने के कारण भिलाई स्टील संयंत्र की क्षमताओं का भरपूर विकास न होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है जिसका एक उदाहरण यह है कि इस संयंत्र द्वारा छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल को विद्युत उपभोग का लगभग 157 करोड़ रुपये बकाया है और इसी प्रकार राज्य को देय करों का भुगतान भी संयंत्र द्वारा किये जाने में विलंब हो रहा है.

तथा यतः प्रदेश की जनता के हित में और राज्य के आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि भिलाई स्टील संयंत्र को प्रशासकीय और प्रबंधकीय स्वतंत्रता का दर्जा प्राप्त हो.

अतएव यह विधान सभा एतद्द्वारा संकल्प करती है कि भारत शासन से आग्रह किया जाय कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास और प्रदेश की जनता की समृद्धि के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र को स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया के प्रशासकीय नियंत्रण और भागीदारी से अलग किया जाकर संयंत्र को स्वायत्त निकाय का दर्जा दिया जाय जैसा कि वर्ष 1973 से पूर्व था, ताकि अपने कुशल प्रबंधन के बल पर संयंत्र लाभार्जन का सिलसिला तो जारी रखे ही, साथ ही उस पर आश्रित एवं उसकी सहायक औद्योगिक इकाइयों और उनसे रोजगार प्राप्त करने वाले लाखों परिवार चिंता मुक्त हो और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव न पड़े.

चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) श्री महेश तिवारी

(2) श्री देवव्रत सिंह

(3) श्री अमर अग्रवाल

(4) श्री डोमेन्द्र भेंडिया

(5) श्री शिवरतन शर्मा

(6) डॉ. हरिदास भारद्वाज

(7) श्री लीलाराम भोजवानी

(8) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता

(9) श्री बदरुद्दीन कुरैशी

(10) श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष

श्री महेन्द्र कर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प स्वीकृत हुआ.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री महेन्द्र कर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक, 2002 (क्र. 6 सन् 2002) पुर:स्थापित किया.

(2) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 1 सन् 2002) पुर:स्थापित किया.

(3) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री, ने प्रस्ताव किया कि—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 35 सन् 2001) पर विचार किया जाये.

डॉ. हरिदास भारद्वाज तथा श्री अमर अग्रवाल सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 व 4 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

9. औचित्य प्रश्न तथा व्यवस्था

माननीय उपाध्यक्ष ने श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री से छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2002 पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने विधान सभा के कार्य प्रक्रिया नियमावली के नियम 158 (2) का उल्लेख करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि सदन का समय चूंकि 5.00 बजे नियत है इसलिए विनियोग विधेयक पर चर्चा 5.00 बजे के पूर्व समाप्त हो जानी चाहिए और माननीय अध्यक्ष को उसके लिए समय नियत करना चाहिए लेकिन आज की कार्यसूची में विनियोग विधेयक पर चर्चा के लिए कोई समय नियत नहीं किया गया है इसलिए इसको 5.00 बजे के पूर्व समाप्त कराने के लिए अगले दिन लिया जाए.

माननीय उपाध्यक्ष ने नियम 158 (2) का उल्लेख करते हुए व्यवस्था दी कि कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार कर सदन के समय का निर्धारण 6.30 बजे तक है इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के नियम प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है इसलिए विनियोग विधेयक लाया जा सकता है.

माननीय उपाध्यक्ष ने संबंधित नियम को शिथिल करने बाबत भी सदन का मत लिया कि—"क्या सदन नियम 158 को शिथिलकर विनियोग विधेयक पर विचार किए जाने के पक्ष में है."

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री महेश तिवारी सदस्यों ने कहा कि विनियोग विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक के लिए इस प्रकार से नियम को शिथिल करना उचित नहीं है.

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि अध्यक्ष को नियमों को शिथिल करने का अधिकार है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती. माननीय उपाध्यक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर सदन ने अपना अभिमत दे दिया है और उस पारित प्रस्ताव को न मानना सदन की अवमानना होगी. अतः वे सदन द्वारा दिए गए मत का पालन करते हुए आगे की कार्यवाही जारी रखते हैं.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल
(2) डॉ. हरिदास भारद्वाज
(3) श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से विनियोग विधेयक पर विचार पूर्ण होने तथा मतदान होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 व अनुसूची विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2002 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2002

(चैत्र 1, शक संवत् 1924)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 06 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 2 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 13 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) तथा उसके साथ पठित मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 (1) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष का (राजस्व प्राप्तियां) पटल पर रखा.

3. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 21 मार्च, 2002 को संपन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित कार्यों के लिए उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :—

(1) शासकीय विधि विषयक कार्य

		निर्धारित समय
1.	छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 11 सन् 2002).	15 मिनिट
2.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 13 सन् 2002).	30 मिनिट
3.	छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 14 सन् 2002).	30 मिनिट
4.	छत्तीसगढ़ वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 15 सन् 2002).	30 मिनिट
5.	छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 16 सन् 2002).	30 मिनिट
6.	छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 17 सन् 2002).	30 मिनिट
7.	छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन तथा पेंशन भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2002.	15 मिनिट
8.	छत्तीसगढ़ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2002.	15 मिनिट
9.	छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2002.	15 मिनिट

(2) शासकीय संकल्प

1.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को केन्द्रीय विश्व-विद्यालय का दर्जा दिये जाने बाबत संकल्प	30 मिनिट

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि—

"शासकीय विधेयकों एवं संकल्प पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई गई हैं, सदन उन्हें स्वीकृति देता है."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

4. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, (बृजमोहन अग्रवाल) सदस्यों ने सहकारी बैंक एवं समितियों द्वारा बारदाना खरीदी में अनियमितता किए जाने के संबंध में खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री मोहम्मद अकबर, राज्यमंत्री खाद्य ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री धरम कौशिक, नारायण प्रसाद चंदेल, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने जिला सरगुजा के हाईस्कूल बरदर की छात्रा के साथ शिक्षक द्वारा बलात्कार किए जाने के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 9 (नौ) सूचनायें नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 22-3-2002 को सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है.

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :—

(1) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की जिला शिक्षा अधिकारी कवर्धा द्वारा युक्तियुक्तकरण के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी सूचना.

(2) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की इंदिरा गांधी कृषि वि. वि. रायपुर के अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने संबंधी सूचना.

(3) श्री नंदकुमार साय, सदस्य की रायपुर राजधानी बनने के बाद गरीबों की जमीन को असामाजिक तत्वों द्वारा जबरिया हड़पने संबंधी सूचना.

(4) श्री छतराम देवांगन, सदस्य की जांजगीर-चांपा जिले अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में लो-वोल्टेज की समस्या संबंधी सूचना.

(5) श्री गौरीशंकर अग्रवाल, सदस्य की मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जन प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने संबंधी सूचना.

(6) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य की टीमन सिंह शिक्षाकर्मी की एक समय में दो स्थानों पर उपस्थिति होने संबंधी सूचना.

(7) श्रीमती रानी रत्नमाला देवी, सदस्य की विधान सभा चन्द्रपुर के विकासखण्ड मालखरौदा के अनेक ग्रामों में विद्युत अवरोध होने संबंधी सूचना.

(8) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की मध्यान्ह भोजन बनाने वाले मजदूरों की मजदूरी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय संबंधी सूचना.

(9) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की छुरिया विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बोइरडीह में महिला हितग्राही राशि में अनियमितता बरतने संबंधी सूचना.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 1 सन् 2002) पर विचार किया जाए,

श्री लीलाराम भोजवानी, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री अमर अग्रवाल, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 5 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

औचित्य का प्रश्न

(2) श्री महेश तिवारी, सदस्य ने छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक के विचार के प्रस्ताव पर आपत्ति प्रकट करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि संशोधन विधेयक की धारा 18 (क) के संदर्भ में इस विधेयक में वित्तीय ज्ञापन न लगाये जाने के फलस्वरूप यह विधेयक अपूर्ण है अतः प्रस्तुत संशोधन विधेयक पर अभी विचार स्थगित किया जाए.

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि वे अभी इस संशोधन विधेयक पर विचार की अनुमति न देते हुए इसे स्थगित करते हैं तथा इस पर अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखते हैं.

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(3) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

सर्वश्री अमर अग्रवाल, गणेश शंकर वाजपेयी, ननकीराम कंवर, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 4 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि—छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(4) श्री महेन्द्र कर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि—छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री ननकीराम कंवर, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री महेन्द्र कर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 20 तथा अनुसूची 1 व 2 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री महेन्द्र कर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक, 2002 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(5) श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि—महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मेनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

श्री नारायण प्रसाद चंदेल, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 40 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि–महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मेनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी विधेयक, 2002 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(6) डॉ. प्रेमसाय सिंह, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि–इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

सर्वश्री ननकीराम कंवर, डोमेन्द्र भेंडिया, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

डॉ. प्रेमसाय सिंह, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 व 3 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

डॉ. प्रेमसाय सिंह, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि–इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(7) श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि–छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से उपरोक्त विधेयक पर चर्चा पूर्ण होने तथा माननीय मंत्री का उत्तर आने के पश्चात् अशासकीय कार्य लिए जाने की घोषणा की.

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :–

(1) श्री अमर अग्रवाल

(2) डॉ. हरिदास भारद्वाज

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 16 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि—छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण विधेयक, 2002 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्र. 4 के उप पद 8 में दर्ज संशोधन विधेयक पारित होने के पश्चात् अशासकीय कार्य लिए जाने की घोषणा की.

(8) श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

श्री अमर अग्रवाल, डॉ. हरिदास भारद्वाज, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 13 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

7. अशासकीय संकल्प

(1) श्री अमर अग्रवाल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि—सदन का यह मत है कि "शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यक्रमों में स्कूली छात्रों को बुलाकर स्वागत गान कराने एवं जुलूस, रैली आदि राजनीतिक, गैर राजनीतिक कार्यक्रमों में छात्र-छात्राओ को सम्मिलित करने की परम्परा पर रोक लगाने के लिए नियम बनाये जावे" तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

श्री डोमेन्द्र भेडिया, नारायण प्रसाद चंदेल, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरान्त संकल्प अस्वीकृत हुआ.

8. आचरण के विरुद्ध निंदा की टिप्पणी का विलोपन

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि—उनके पास माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें दिनांक 22 मार्च, 2002 को उनके विरुद्ध "आचरण के विरुद्ध निन्दा की टिप्पणी" उनके द्वारा की गयी थी, जिसको विलोपित करने का आग्रह किया है तथा यही आग्रह नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने भी किया है, अतः वे इस टिप्पणी को कार्यवाही से विलोपित करते हैं.

मंगलवार, दिनांक 26 मार्च, 2002

(चैत्र 5, शक संवत् 1924)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 10 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 37 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर दल-बदल के लिए मजबूर किए जाने के संबंध में सर्वश्री शिवरतन शर्मा, धरम कौशिक, अजय चन्द्राकर, नारायण प्रसाद चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, लीलाराम भोजवानी, रामविचार नेताम, सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचना पढ़ी.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया तथा माननीय अध्यक्ष से स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करने का आग्रह किया.

माननीय अध्यक्ष ने गृह मंत्री की सहमति के परिप्रेक्ष्य में स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करने की घोषणा की तथा 4.30 बजे इस पर चर्चा के लिए समय नियत किया.

3. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री नंदकुमार साय, गौरीशंकर अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने जगदलपुर के बोधघाट थानान्तर्गत आदिवासियों द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने माननीय मंत्री पर पूर्ण जानकारी न दिए जाने का आरोप लगाते हुए शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.)

(2) श्री गणेशराम भगत, सदस्य ने रायगढ़ जिले के निजी कम्पनी द्वारा कोयले का अवैध उत्खनन किए जाने के संबंध में खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपुकार सिंह, खनिज साधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि–नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 10 (दस) सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 26-3-2002 को सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है.

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :–

(1) श्री छतराम देवांगन, सदस्य की जांजगीर-चांपा जिले की बलौदा-पंतोरा एवं अकलतरा-बलौदा की जर्जर सड़क के नवीनीकरण करने संबंधी सूचना.

(2) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की कटघोरा विधान सभा के हजारों उपभोक्ताओं के विद्युत व्यवस्था से वंचित होने संबंधी सूचना.

(3) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य की पुलिस प्रशासन द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने संबंधी सूचना.

(4) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की बैकुंठपुर हाईस्कूल के आदिवासी छात्र तिलकधारी की विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही से मौत होने संबंधी सूचना.

(5) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की उप-संचालक कृषि, दंतेवाड़ा द्वारा नियम विरुद्ध नियमित नियुक्ति किये जाने संबंधी सूचना.

(6) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की राजनांदगांव में वनमण्डल अधिकारी द्वारा आरा मिलों को सील किये जाने संबंधी सूचना.

(7) श्री धरम कौशिक, सदस्य की जिला बिलासपुर के हाईस्कूल सकरी के कर्मचारियों को तीन साल बाद भी अक्टूबर माह का वेतन नहीं मिलने संबंधी सूचना.

(8) श्री संजीव शाह, सदस्य की राजनांदगांव जिले के चौकी विधान सभा क्षेत्र के वन क्षेत्र में आगजनी से वन सम्पदा नष्ट होने संबंधी सूचना.

(9) श्री रामविचार नेताम, सदस्य की वाड्रफनगर क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं होने संबंधी सूचना.

(10) श्रीमती रानी रत्नमाला देवी, सदस्य की बाल विकास परियोजना डभरा में फर्जी व्हाऊचर बनाकर रुपये हड़पने संबंधी सूचना.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने नियम समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सभापति ने विशेषाधिकारी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा नियमावली के नियम 65 (1) को शिथिल कर आज की कार्य सूची के पद 4 के उप-पद (1) से (10) में अंकित विधेयकों को उनके महत्व एवं समयाभाव को दृष्टिगत रखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में माननीय अध्यक्ष ने उसके पुरःस्थापन एवं उनमें से कार्य सूची के पद 6 के उप-पद (2) से (6) में अंकित विधेयकों के विचार के प्रस्ताव को सम्मिलित करने की अनुज्ञा प्रदान की है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

(1) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 11 सन् 2002) पुरःस्थापित किया.

(2) श्री नंदकुमार पटेल, परिवहन मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 12 सन् 2002) पुरःस्थापित किया.

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने सदन की अनुमति से इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 13 सन् 2002) पुरःस्थापित किया.

(4) श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 14 सन् 2002) पुरःस्थापित किया.

(5) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 15 सन् 2002) पुरःस्थापित किया.

(6) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 16 सन् 2002) पुरःस्थापित किया.

(7) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 17 सन् 2002) पुरःस्थापित किया.

(8) श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने सद्न की अनुमति से छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 18 सन् 2002) पुरःस्थापित किया.

(9) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 19 सन् 2002) पुरःस्थापित किया.

(10) श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) पुरःस्थापित किया.

7. संकल्प

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री, ने संकल्प प्रस्तुत किया कि–"प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, पिछड़ी जाति बाहुल्य जनता निवास करती है. पिछले डेढ़ दशक में इस विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा के अच्छे मानक स्थापित किये हैं. इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत शासकीय एवं अशासकीय मिलाकर 87 महाविद्यालय हैं, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी सम्मिलित हैं. एक लंबे समय से जनता की मांग रही है कि इस क्षेत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जावे. केन्द्रीय शासन की भी यह नीति रही है कि पिछड़े क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विकास को देखते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जावे. राज्य शासन का विचार है कि इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देने हेतु केन्द्रीय सरकार संसद में विधेयक प्रस्तुत करे.

यह सभा अनुरोध करती है कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर का संचालन, अधीक्षण, विकास आदि केन्द्रीय शासन करे तथा इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप मान्य करने हेतु संसद में विधेयक प्रस्तुत करे."

चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :–

(1) श्री महेश तिवारी

(2) डॉ. हरिदास भारद्वाज

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ.

औचित्य प्रश्न पर व्यवस्था
छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2002 में वित्तीय ज्ञापन न होना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि दिनांक 22 मार्च, 2002 को छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2002 के विचार के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य श्री महेश तिवारी द्वारा आपत्ति प्रकट करते हुए यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था कि संशोधन विधेयक की धारा 18 (क) के संदर्भ में इस विधेयक में वित्तीय ज्ञापन न लगाये जाने के फलस्वरूप यह विधेयक अपूर्ण है, अतः प्रस्तुत संशोधन विधेयक पर अभी विचार स्थगित किया जाये. विचारोपरांत आसंदी द्वारा संशोधन विधेयक पर विचार स्थगित कर अपनी व्यवस्था को सुरक्षित रखा गया था.

संशोधन विधेयक में वित्तीय ज्ञापन के संबंध में विधि विभाग से मत प्राप्त हुआ है जो इस प्रकार है :–

1. ब्रिवरेजेस कार्पोरेशन पूर्व में ही कंपनी एक्ट के प्रावधानों में स्थापित किया जा चुका है.

2. यह कार्पोरेशन जो कि एक कंपनी की प्रकृति का है शासन उसकी केवल एक शेयर होल्डर के रूप में है. ट्रेडिंग का सारा कार्य उस कार्पोरेशन द्वारा ही किया जाएगा.

3. (1) इस कार्पोरेशन को शासन द्वारा शेयर के रूप में जो राशि दी गई है उसके संबंध में 2001-2002 के द्वितीय अनुपूरक बजट तथा 2002-2003 के बजट में मनी बिल की पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए प्रावधान किया जा चुका है. अतः इस बिल द्वारा शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आना है.

(2) क्योंकि उपरोक्तानुसार इस वित्तीय प्रावधान के संबंध में एक बार महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति ली जा चुकी है. अतः उसी वित्तीय प्रावधान के लिए दुबारा अनुमति लिया जाना अनावश्यक है.

4. इस कार्पोरेशन के किसी भी खर्चे का भार शासन पर नहीं आना है. क्योंकि कार्पोरेशन, कंपनी के रूप में होकर स्वयं ही अपने संसाधन अर्जित करेगी तथा यह कार्पोरेशन एक "ज्यूरिस्टिक पर्सन" के रूप में है. अतः किसी भी प्रकार की हानि होने की दशा में कार्पोरेशन/कंपनी ही उत्तरदायी होगी न कि शासन.

मैंने विधेयक के उद्देश्य व कारण भी देखे.

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथनों को देखने से स्पष्ट है कि शासन द्वारा दिनांक 7-11-2001 को छत्तीसगढ़ राज्य ब्रिवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया जा चुका है. अधिनियम की धारा 18 के पश्चात् 18-क के अन्तःस्थापन का प्रश्न है. इसमें राज्य शासन द्वारा एकाधिकार, राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रित निगम छत्तीसगढ़ राज्य ब्रिवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में भारत निर्मित विदेशी मदिरा के फुटकर या थोक विक्रय हेतु सौंपे जाने का प्रस्ताव है. उप धारा (2) में इस संबंध में बनाये नियमों के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य ब्रिवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड को आवश्यक लायसेन्स स्वीकृति करने का प्रावधान किया गया है. इसी प्रकार अधिनियम की धारा-34 में कारावास तथा आर्थिक दंड का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है.

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक से शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा. अतः विधेयक में वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री, ने प्रस्ताव किया कि--छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

(1) श्री ननकीराम कंवर

(2) डॉ. हरिदास भारद्वाज

(3) श्री महेश तिवारी

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 व 3 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

9. विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार एवं स्वीकृति

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि "यह सदन दिनांक 26 मार्च, 2002 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है तथा अध्यक्ष महोदय को समिति के प्रतिवेदन में सम्मिलित सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत करता है."

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि प्रकरण में रायपुर के जिलाधीश श्री अमिताभ जैन एवं रायपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश गुप्ता की सदन में बुलाकर भर्त्सना करनी है, इस हेतु माननीय अध्यक्ष समस्त आवश्यक कार्यवाही यथा समय करेंगे.

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से घोषणा की कि चूंकि आज की कार्यवाही में दर्ज समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा माननीय अध्यक्ष ने सायं 4.30 बजे से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति प्रदान की है अतः अब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ की जाती है.

10. स्थगन प्रस्ताव (4.25 बजे चर्चा प्रारम्भ)

प्रदेश सरकार द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर दल बदल के लिए मजबूर किए जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :–

(1) श्री शिवरतन शर्मा

(2) श्री धर्मजीत सिंह

(3) श्री धरम कौशिक

(4) श्री गणेश शंकर वाजपेयी

(5) श्री अजय चन्द्राकर

(6) श्री बृजमोहन अग्रवाल

(7) श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

बुधवार, दिनांक 27 मार्च, 2002

(चैत्र 6, शक संवत् 1924)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 09 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 37 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अंतर्गत प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001 पटल पर रखा.

3. ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कार्यसूची में 29 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम दो ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद ही अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा.

लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी. संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री विधान मिश्रा, राज्यमंत्री कृषि ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री ननकीराम कंवर, श्री मेघाराम साहू, सदस्य ने जशपुर जिला अंतर्गत पत्थलगांव नगर के जशपुर रोड में अनधिकृत बेरियर लगाये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री विधान मिश्रा, राज्यमंत्री कृषि ने इस पर वक्तव्य दिया.

माननीय अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणानुसार कार्यसूची के पद 3 के उप पद (3) से (29) तक सूचना देने वाले सदस्यों की ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गये :—

(3) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, सदस्य की शासकीय महाविद्यालय नगरी एवं भाटापारा के छात्र संघ को बहाल न किये जाने संबंधी सूचना तथा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(4) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पुनः सेवा में बहाल किये जाने संबंधी सूचना तथा सामान्य प्रशासन मंत्री का वक्तव्य.

(5) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, मेघाराम साहू, सदस्य की प्रदेश में शिक्षकों की संविदा नियुक्ति न किये जाने संबंधी सूचना तथा आदिमजाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(6) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इंदिरा सूचना शक्ति योजना में अनियमितता होने के संबंधी तथा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(7) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, सदस्य की प्रदेश में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय का आधुनिकीकरण न किये जाने तथा स्टाफ की कमी होने संबंधी सूचना तथा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(8) श्री शिवरतन शर्मा, श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की रायपुर विकास योजना 2011 (उपान्तरित) में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन मंत्री का वक्तव्य.

(9) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की मेडिकल कॉलेज हास्पिटल, रायपुर में जीवन रक्षक उपकरण खराब होने तथा नये उपकरण खरीदी में विलंब होने संबंधी सूचना तथा स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य.

(10) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य की कोरबा जिले में पहाड़ी कोरबा जाति के लोगों के लिए मकान बनाने में भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

(11) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत ग्राम पीपरसत्ती (अकलतरा) के लोगों को बंधुआ मजदूर बनाये जाने संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का वक्तव्य.

(12) श्री मेघाराम साहू, सदस्य की विकासखण्ड सक्ती के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लवसरा के प्राचार्य द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(13) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की राजनांदगांव जिले में इंदिरा खेत गंगा योजना के तहत अपात्र कृषकों को लाभ दिये जाने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य.

(14) श्री मेघाराम साहू, सदस्य की सक्ती विधान सभा क्षेत्र में रेत की रायल्टी वसूली में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य.

(15) श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य की कोरबा ताप विद्युत गृह की आवासीय कॉलोनी के लिये पानी की टंकी खरीदने में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(16) श्री मेघाराम साहू, सदस्य की सक्ती विधान सभा क्षेत्र के अनेक गांवों में लो-वोल्टेज की समस्या होने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(17) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की जिला जांजगीर-चांपा के अस्पतालों में चिकित्सकों के पद रिक्त होने संबंधी सूचना तथा स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य.

(18) श्री मेघाराम साहू, सदस्य की जिला जशपुर थाना पत्थलगांव निवासी महिला की हत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(19) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की जांजगीर-नैला नगर एवं चांपा विधान सभा क्षेत्र के अनेक गांवों में पेयजल समस्या होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.

(20) श्री छतराम देवांगन, सदस्य की अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खिसौरा में आरा मशीनों से अवैध लकड़ी जब्त किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

(21) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की धरसींवा विकासखण्ड के ग्राम कुम्हारी में मिट्टी का अवैध उत्खनन किये जाने संबंधी सूचना तथा खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य.

(22) श्री रामविचार नेताम, श्री ननकीराम कंवर, सदस्य की प्रदेश की शालाओं में शिक्षकों की कमी होने संबंधी सूचना तथा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(23) श्री शिवरतन शर्मा, श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की बाल्को नगर में पुलिस द्वारा श्रमिकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(24) श्री मेघाराम साहू, श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की सक्ती विधान सभा क्षेत्र में हसदेव बांगो बायी तट नहर निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(25) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य की रेत विक्रय नीति परिवर्तन से रेत के दामों में भारी वृद्धि होने संबंधी सूचना तथा खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य.

(26) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य की नारायणपुर मेला में पुलिस कर्मियों द्वारा व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(27) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की विद्युत मंडल कोरबा में पदस्थ अधिकारियों द्वारा रिसदा स्थित राखड़ बांध के निर्माण कार्य में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(28) सर्वश्री छंतराम देवांगन, लीलाराम भोजवानी, ननकीराम कंवर, सदस्य की जल संसाधन संभाग राजनांदगांव के एनीकट निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(29) श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य की कवर्धा जिले के पंडरिया तहसील के ग्राम बकेला में गिट्टी का अवैध उत्खनन किये जाने संबंधी सूचना तथा खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य.

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को सूचित किया गया कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 11 (ग्यारह) सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 27-3-2002 को सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है.

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :—

(1) श्री छंतराम देवांगन, सदस्य की जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के कोनारगढ़ के गढ़ से वनों की अवैध कटाई एवं वन भूमि को अधिग्रहीत करने संबंधी सूचना.

(2) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की जनपद पंचायत फरसगांव के ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार संबंधी सूचना.

(3) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य की कोरबा वनमण्डल द्वारा तेन्दूपत्ता का बोनस न वितरण किये जाने संबंधी सूचना.

(4) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व बाजार में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने संबंधी सूचना.

(5) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की ग्राम रवेली विकासखण्ड अभनपुर जिला रायपुर में स्थित खेल मैदान में अवैध कब्जे को हटाने के संबंधी सूचना.

(6) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की राजनांदगांव जिले के ग्राम तुमड़ीबोड़ में बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य बंद होने संबंधी सूचना.

(7) श्री धरम कौशिक, सदस्य की शासन के आदेशों के बावजूद महासमुंद पंचायत की पंचायत निधि का बंटवारा न होने संबंधी सूचना.

(8) श्री रामविचार नेताम, सदस्य की छत्तीसगढ़ राज्य में कई वर्षों से खाद्य विभाग में खाद्य निरीक्षकों की पदस्थी संबंधी सूचना.

(9) श्रीमती रानी रत्नमाला देवी, सदस्य की जनपद पंचायत डभरा की ग्राम पंचायतों में रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत बंद पड़े कार्यों को चालू कराने संबंधी सूचना.

(10) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य की इंदिरा खेत गंगा योजना में हितग्राहियों के चयन में अनियमितता संबंधी सूचना.

(11) श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य की राज्य शासन द्वारा अस्पतालों में हितग्राहियों को दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती किये जाने संबंधी सूचना.

5. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

(1) श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम 228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि :—

श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य द्वारा श्री एम. के. पाण्डे, अपर संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर के विरुद्ध समिति को जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम 228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि :—

श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य द्वारा श्री डेरहूप्रसाद धृतलहरे के विरुद्ध दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता से ग्रसित होने संबंधी जांच एवं अनुशंसा हेतु निर्दिष्ट अर्जी पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने जिला मुख्यालय जांजगीर-नैला में अधूरी नल-जल योजना को पूरा किये जाने,

(2) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने जांजगीर जिले के अकलतरा में 132 के. व्ही. विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना किये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि—इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 10 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि—इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002 पर पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

श्री अजय चन्द्राकर, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 5 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(3) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि—छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

श्री लीलाराम भोजवानी, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि—छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

हैं. भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में सबसे कम प्रश्न पूछने वाले सदस्यों में श्री चोवादास खाण्डेकर हैं जिन्होंने समस्त सत्रों में सिर्फ 14 प्रश्न ही पूछे. कांग्रेस पक्ष के सदस्यों में सर्वाधिक प्रश्न पूछने वाले सदस्यों में श्री मदनगोपाल सिंह हैं जिन्होंने अब तक 95 प्रश्न पूछे हैं जबकि श्री गुलाब और श्री योगेश्वर राज सिंह ने क्रमशः 70 और 56 प्रश्न पूछकर द्वितीय व तृतीय क्रम पर हैं. कांग्रेस पक्ष के पांच ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने अब तक कोई प्रश्न नहीं पूछा है.

यदि दोनों बजट सत्र की तुलनात्मक स्थिति को देखा जाए तो विगत बजट सत्र में पूछे गए कुल प्रश्नों के 85.67 प्रतिशत प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने पूछे, वहीं 8.29 प्रतिशत प्रश्न कांग्रेस पक्ष के सदस्यों ने पूछे और अन्य सदस्यों का प्रतिशत 6.02 प्रतिशत था. वर्तमान बजट सत्र में भाजपा सदस्यों का प्रतिशत घटकर 77.72 प्रतिशत हो गया है जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रतिशत बढ़कर 17.18 प्रतिशत हो गया है यदि पूछे गए प्रश्नों की स्थिति को प्रति सदस्यों के औसत की दृष्टि से देखा जाए तो विगत नवम्बर-दिसम्बर सत्र में पूछे गए प्रति विधायक प्रश्नों में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का औसत प्रति विधायक 32 था, जो वर्तमान सत्र में बढ़कर 47 हो गया है. वहीं कांग्रेस पक्ष में प्रति विधायक का जो औसत विगत शीतलकालीन सत्र में 1.9 था वह बढ़कर 3.6 हो गया है.

महिला विधायकों ने अब तक 126 प्रश्न किए हैं. कुल प्रश्नों में महिला विधायकों की सहभागिता का प्रतिशत 2.60 प्रतिशत है. श्रीमती रानी रत्नमाला देवी ने सर्वाधिक प्रश्न पूछे. वहीं 2 महिला सदस्य ऐसी भी थीं जिन्होंने अब तक कोई प्रश्न नहीं पूछा है.

जिलों के मान से यदि देखा जाए तो सर्वाधिक प्रश्न रायपुर जिले के संबंध में पूछे गए उसके बाद जांजगीर-चांपा व राजनांदगांव जिले का क्रम आता है.

यदि सदन में सर्वाधिक उपस्थिति को देखा जाए तो सर्वाधिक बैठकों में उपस्थित होने वाले कांग्रेस पक्ष के विधायकों में श्री डोमेन्द्र भेंडिया, डॉ. रामलाल भारद्वाज, श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर हैं तथा भाजपा के पक्ष में सर्वाधिक उपस्थिति सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण प्रसाद चंदेल की है.

विगत बजट सत्र में बजट पर सामान्य चर्चा साढ़े 6 घण्टे हुई जबकि इस बार यह चर्चा 6 घण्टे 10 मिनट हुई. वहीं मांगों पर चर्चा का समय जो विगत सत्र में 35 घण्टे, 41 मिनट था वह इस बार बढ़कर 38 घण्टे 49 मिनट हो गया है.

इस बार एक महत्वपूर्ण बात और भी हुई कि इस सत्र में 43 माननीय सदस्यों की 84 संदर्भ सचिवालय की संदर्भ, अनुसंधान शाखा से प्राप्त किए जो निश्चित ही उल्लेखनीय आंकड़ा है. मैं चाहूंगा कि इस सेवा का अधिकाधिक लाभ माननीय सदस्यगण उठाएं और इस दृष्टि से सचिवालय की संदर्भ, अनुसंधान एवं पुस्तकालय शाखा को और सुदृढ़ भी किया जा रहा है.

इस प्रकार मैं यह कह सकता हूं कि प्रथम सत्र से अब तक का जो सफर इस नवगठित विधान सभा ने तय किया है वह संतोषजनक है और आगे इसमें और बढ़ोतरी होगी, ऐसा मुझे विश्वास है.

मैं यह मानता हूं कि यह सब आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं था सदन के कुशल संचालन के लिए, सदन के नेता, प्रतिपक्ष के माननीय नेता, अन्य पार्टी के नेतागण, विधायकों, विधान सभा के अधिकारियों, कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मुझे मिला. मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं साथ ही हमारे मीडिया के साथियों का भी मैं हृदय से आभारी हूं जिन्होंने सदन की कार्यवाही को अच्छे ढंग से प्रकाशित कर अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है. मैं सुरक्षा अमले का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा. सुरक्षा के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जो चौकस सुरक्षा व्यवस्था इस बार की गई वह निश्चित ही सराहनीय है और सुरक्षा में संलग्न सचिवालय के मार्शल एवं पुलिस के सुरक्षा अधिकारी और उनका समस्त अमला इस हेतु बधाई का पात्र है.

परम्परानुसार मैं सदन को यह भी बता देना चाहता हूं कि विधान सभा का आगामी मानसून सत्र जुलाई माह में होगा.

सदन में राष्ट्रगान धुन "जन-गण-मन" बजाई गई.

माननीय अध्यक्ष द्वारा सत्र समापन की घोषणा की गई.

इसके पश्चात् विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई.

संक्षिप्त कार्य विवरण पुस्तिका
(दिनांक १८ फरवरी २००२ से २७ मार्च, २००२)
शुद्धि पत्र

पृष्ठ क्रमांक	पंक्ति क्रमांक (उपर से)	अशुद्ध	शुद्ध
भूमिका	२	पर	का
०३	०९	--	क्रं.०४
०३	०९	बाजार में	बाजार के
०८	१३	सिगपुर	सिगृपुर
१०	०७	अनुपूरक मांग	अनुपूरक मांगों का
१३	२१	--	श्री ननकीराम , सदस्य ने
१६	२६	श्री अतितेष शुक्ल	श्री अमितेष शुक्ल
४३	१७	श्री मेघाराम साहू	श्री घनाराम साहू
४५	१५	३१ मार्च, २००२	३१ मार्च, २००३
४९	०८	२१ तारांकित	२१ अतारांकित
५७	०१	२१ मार्च, २००३	२१ मार्च, २००२
५८	१६	संबंधक	संबंध
८३	३३	१४ प्रश्न	३१४ प्रश्न